दिसम्बर 2017

# मध्यप्रदेश पंचायिका

पंचायतों की मासिक पत्रिका

संरक्षक
**गोपाल भार्गव**
मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण, मध्यप्रदेश

प्रबंध सम्पादक
**शमीम उद्दीन**

समन्वय
**मंगला प्रसाद मिश्रा**

परामर्श
**शिवानी वर्मा**
**डॉ. विनोद यादव**

सम्पादक
**रंजना चितले**

सहयोग
**अनिल गुप्ता**

वेबसाइट
**आत्माराम शर्मा**

आकल्पन
**आलोक गुप्ता**
**विनय शंकर राय**

एक प्रति : बीस रुपये
वार्षिक : दो सौ रुपये

सम्पर्क
**मध्यप्रदेश पंचायिका**
मध्यप्रदेश माध्यम
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल
भोपाल-462011
फोन : 2764742, 2551330
फैक्स : 0755-4228409
Email : panchayika@gmail.com

कृपया वार्षिक ग्राहक बनने के लिए अपने ड्राफ्ट/मनीआर्डर मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम से भेजें।

मध्यप्रदेश पंचायिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं, इसके लिए सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है।

## इस अंक में...

**आयोजन** : महिला स्व-सहायता समूहों का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सह-सम्मेलन 5
**साक्षात्कार** : मध्यप्रदेश में महिला सशक्तिकरण के सफल परिणाम 11
**खास खबरें** : स्व-सहायता समूह सम्मेलन की घोषणाओं की समीक्षा 14
**विशेष लेख** : महिला स्वावलम्बन की नींव रखता मध्यप्रदेश 15
**आजीविका** : मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 20
**नवाचार** : राजगढ़ का 'बैंक सखी मॉडल' है देश का पहला 27
**आजीविका-कृषि** : आजीविका गतिविधियों से जुड़कर 14,48,940 हितग्राही लाभान्वित 28
**पंचायत - प्रशिक्षण** - महिला प्रतिनिधियों का क्षमतावर्धन 31
**स्वच्छ भारत अभियान** : खुले में शौच मुक्त जनपद पंचायत होशंगाबाद 32
**पंचायत गजट** : आनंद उत्सव 2018 के आयोजन संबंधित निर्देश 36

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका का नवम्बर अंक पढ़ा। इस अंक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए बनाए जा रहे आवासों के निर्माण, राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण आदि महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रकाशित की गई हैं। ग्रामीण क्षेत्र में बन रहे आवासों से आवासहीन लोगों को आश्रय मिलेगा। यह सरकार का एक जनकल्याणकारी प्रयास है। उम्मीद है सरकार इसी तरह की योजनाएँ आगे भी चलायेगी। इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से निश्चित ही गरीब तबके के लोगों का जीवन बदलेगा।

**- कविता सिंह कुशवाहा**
भोपाल (म.प्र.)

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका का नवम्बर माह का अंक देखा। अंक में गरीब कल्याण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारियाँ बेहद प्रभावी और विश्लेषणात्मक रूप में प्रकाशित की गई हैं। पत्रिका में बताया गया है कि प्रदेश के सभी गाँवों को सड़कों से जोड़ा जायेगा। ये सराहनीय कदम है। गाँव, विकास की रफ्तार तभी पकड़ेंगे जब गाँवों में बारहमासी पक्की सड़कें होंगी।

**- अनिल यादव**
सागर (म.प्र.)

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका का नवीनतम अंक पढ़ने को मिला। अंक में पंच परमेश्वर पोर्टल और पंच परमेश्वर एप की जानकारी ने बेहद प्रभावित किया। मध्यप्रदेश में कई साल पहले ग्राम पंचायतों को अधिक सक्षम बनाने के लिए पंच परमेश्वर योजना शुरू की गई थी। अब इस योजना के एप और पोर्टल बन जाने से आमजन विशेषकर ग्रामीणजन सीधे शासन के कार्यों और योजनाओं की प्रगति को जान सकेंगे।

**- महेश दुबे**
सीहोर (म.प्र.)

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका का नवम्बर माह का अंक देखा। अंक में ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। यह अच्छी पहल है कि ग्रामीण विकास के क्षेत्र में होने वाले सार्थक प्रयासों से आमजन भी परिचित हों। पत्रिका में शासकीय आदेशों, योजनाओं और गतिविधियों की जानकारी प्रकाशित की जाती है। मध्यप्रदेश पंचायिका पत्रिका पंचायत प्रतिनिधियों के साथ-साथ ग्रामीणों के मार्गदर्शन का भी कार्य करती है।

**- कौशल मीणा**
रायसेन, (म.प्र.)

# मंत्री जी का मार्गदर्शन

## स्व-सहायता और स्व-विकास दोनों

**प्रिय पाठकगण,**

मध्यप्रदेश में महिलाओं को सशक्त स्वावलम्बी, आत्मनिर्भर और रचनात्मकता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए आरम्भ किया गया आजीविका कार्यक्रम अब अपनी ऊँचाइयों को छूने लगा है। मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत निर्मित समूहों की संख्या 2 लाख से ऊपर पहुँच गयी है। इन समूहों से 23 लाख से अधिक परिवार जुड़े हैं।

प्रदेश में एक लाख से ज्यादा समूह 1910.79 करोड़ का ऋण प्राप्त कर लाभान्वित हुए हैं। समूह की महिलाओं ने अपनी आजीविका के साधन-संसाधनों का विस्तार किया है। यह विस्तार इस बात का प्रमाण है कि 1 लाख 43 हजार से अधिक सदस्य जो पहले बी.पी.एल. श्रेणी में थे, अब एक लाख से अधिक आय प्राप्त कर रही हैं। कई बहनों ने तो अपना बी.पी.एल. कार्ड तक लौटा दिया है।

स्व-सहायता समूह से जुड़कर प्राप्त होने वाला लाभ बहुआयामी है। एक तरफ इन समूहों के माध्यम से महिलाओं ने जहाँ अपने कौशल का विकास करके आजीविका पायी और आर्थिक स्वावलम्बन प्राप्त किया, वहीं दूसरी ओर उनमें आत्मविश्वास का भाव भी जागा है। यदि वे स्वावलम्बन से अपने परिवार की रीढ़ बनी हैं, परिवार संचालन की धुरी हैं, तो वहीं उन्होंने ग्रामीण समुदाय के सामाजिक और आर्थिक स्थिति को नई दिशा दी है। उनके आत्मविश्वास ने न केवल परिवार के बच्चों को आगे बढ़ने में सहायता की है बल्कि इन महिलाओं को सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिए प्रेरित भी किया है।

महिलाओं ने स्व-सहायता समूह के माध्यम से समाज को देखा और समझा। समस्याओं को जाना, संभावनाओं को महसूस किया। यह इसी का परिणाम है कि उन्होंने राजनीति में भी नेतृत्व थामा है। स्व-सहायता समूह की कई महिलाएँ पंचायत राज व्यवस्था में चुनकर आयी हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ कार्य कर रही हैं। वे ग्राम सभाओं, सामुदायिक मुद्दों और विकास की गतिविधियों में हिस्सेदारी कर रही हैं। निर्णयों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका दिखती है।

मध्यप्रदेश में स्व-सहायता समूह का कार्य व्यापक स्वरूप में दिखाई दे रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का मानना है कि आर्थिक स्वावलम्बन से ही महिला सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त होगा, ठीक इसी अनुरूप प्रदेश में योजनाएँ बनीं और कार्य किये गये। इसी का परिणाम है कि आर्थिक स्वावलम्बन से महिला सशक्तिकरण की लहर आयी है।

हमारे लिए यह गर्व की बात है कि प्रदेश की 5 हजार से अधिक महिलाएँ कृषि सामुदायिक स्रोत व्यक्ति के रूप में अन्य राज्यों जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कम लागत की कृषि तथा जैविक कृषि का प्रशिक्षण ग्रामीणों को दे रही है। नये भारत और मध्यप्रदेश के निर्माण में महिला सशक्तिकरण की यह लहर निश्चित ही महत्वपूर्ण भूमिका में होगी।

भविष्य में यह संवाद निरन्तर रहेगा। पंचायिका में प्रकाशित योजनाओं का लाभ अवश्य लें।

शुभकामनाओं सहित।

**(गोपाल भार्गव)**
मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास,
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, मध्यप्रदेश

# स्व-सहायता समूहों से महिला सशक्तिकरण

**प्रिय पाठको,**

मध्यप्रदेश में महिला सशक्तिकरण और गरीब कल्याण के लिए राज्य शासन द्वारा अभिनव कार्य किये जा रहे हैं। जिसके परिणाम स्वरूप महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में प्रदेश ने नया इतिहास बनाया है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्हें स्व-सहायता समूहों से जोड़कर, प्रशिक्षण देकर आजीविका के साधन उपलब्ध कराने का कार्य राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रदेश भर में किया जा रहा है।

आजीविका मिशन द्वारा बनाये गये स्व-सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के साथ, उनके लिए जीविकोपार्जन के साधनों में वृद्धि की जा रही है। मिशन के प्रयासों के चलते महिलाओं में आत्मविश्वास विकसित हुआ है और विभिन्न मुद्दों पर समझ बढ़ी है। महिलायें अब ग्राम सभा में भाग लेने के साथ निर्णय लेने में भी सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं। समूह की कई महिलाएँ पंचायत प्रतिनिधि भी चुनकर आयी हैं और अच्छा काम कर रही हैं।

आजीविका गतिविधियों के तहत प्रदेश में आजीविका मिशन के माध्यम से 23.28 लाख परिवारों के 2 लाख 3 हजार 244 सदस्यों को स्व-सहायता समूहों से जोड़ा गया है। इन स्व-सहायता समूहों द्वारा साबुन निर्माण, गुड़, मूंगफली चिक्की निर्माण, अगरबत्ती उत्पादन, सब्जी उत्पादन, हथकरघा कार्य, मुर्गीपालन तथा कृषि आधारित विभिन्न कार्य किये जा रहे हैं।

विगत 17 नवम्बर को भोपाल के जम्बूरी मैदान में स्व-सहायता समूहों का विशाल सम्मेलन सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश भर से शामिल लगभग एक लाख स्व-सहायता समूह सदस्यों को उप राष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव द्वारा मार्गदर्शन दिया गया।

आयोजन की विस्तृत रिपोर्ट इस अंक में प्रकाशित की जा रही है। मध्यप्रदेश में महिला सशक्तिकरण और गरीब कल्याण के किये जाने वाले कार्यों को लेकर विभागीय मंत्री जी से हुई बातचीत के अंश भी इस अंक में हैं। मध्यप्रदेश पंचायिका का यह अंक मध्यप्रदेश राज्य आजीविका मिशन की गतिविधियों पर केन्द्रित है। महिला सशक्तिकरण के बढ़ते कदमों और सफल गाथाओं को पढ़कर आप निश्चित ही इस क्षेत्र में और अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे। सबके साथ और सहयोग से मध्यप्रदेश के विकास की रफ्तार और तेज होगी।

कृपया मध्यप्रदेश पंचायिका को और अधिक उपयोगी बनाने हेतु अपनी प्रतिक्रिया पत्रों के माध्यम से अवश्य भेजें।

**(शमीम उद्दीन)**
संचालक, पंचायत राज

# महिला स्व-सहायता समूहों का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सह-सम्मेलन

## प्रदेश में महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से नारी शक्ति का हुआ उदय

*मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में आर्थिक स्वावलम्बन से महिला सशक्तिकरण की दिशा में विविध प्रयास किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुरूप पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव के मार्गदर्शन में ग्रामीण निर्धन परिवारों की महिलाओं के स्व-सहायता समूह बनाकर उन्हें स्थाई आजीविका के अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। जहाँ प्रदेश के 43 जिलों के 271 विकासखण्डों में मध्यप्रदेश दीनदयाल अन्त्योदय योजना, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा सघन कार्य किया जा रहा है और शेष 42 विकासखण्डों में जिला पंचायतों के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। वहीं मध्यप्रदेश राज्य महिला वित्त एवं विकास निगम द्वारा भी प्रदेश में 'तेजस्विनी' ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आजीविका मिशन के दो लाख 3 हजार 244 स्व-सहायता समूह और तेजस्विनी के 16 हजार 261 समूह स्वावलम्बन की दिशा में अग्रसर हैं। प्रदेश की महिला स्व-सहायता समूह सदस्यों के स्वावलम्बन की दिशा में बढ़ते कदमों की गति बढ़ाने और मार्गदर्शन देने के लिए भोपाल के जम्बूरी मैदान में 17 दिसम्बर को महिला स्व-सहायता समूहों का राज्य स्तरीय सम्मेलन सह प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेशभर से एक लाख से अधिक स्व-सहायता समूह के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में समूह सदस्यों द्वारा निर्मित उत्पादों के स्टॉल लगाये गए। इन उत्पादों का कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप राष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव, कार्यक्रम में शामिल जन प्रतिनिधियों तथा प्रतिनिधियों द्वारा लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इन उत्पादों को ब्रांडेड कंपनियों के उत्पादों से बेहतर बताते हुए इसकी ब्रांडिंग करने की घोषणा की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा स्व-सहायता समूह के लिए कई घोषणाएँ की गयीं।*

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में 17 दिसम्बर को जम्बूरी मैदान में महिला स्व-सहायता समूहों का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सह सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री वेंकैया नायडू ने महिला स्व-सहायता समूहों के सम्मेलन के आयोजन को ऐतिहासिक, अद्‌भुत और अपूर्व बताया। प्रदेश में महिला स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह सुंदरतम् सम्मेलन है। यहां महिला सशक्तिकरण के लिये एक सशक्त संकल्प लिया गया है। महिला स्व-सहायता समूहों से 23 लाख परिवारों को जोड़ने की पहल के लिये भी प्रदेश सरकार को बधाई।

श्री नायडू ने कहा कि नारी अब अबला नहीं सबला है और बेटियां अब बोझ नहीं वरदान हैं। वे पूरी क्षमता से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। देश की रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण हैं। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज हैं और श्रीमती सुमित्रा महाजन संसद में स्पीकर हैं। आज़ादी की लड़ाई में भी महिलाओं ने अप्रतिम योगदान दिया है। महिला सशक्तिकरण से ही नए भारत का निर्माण होगा। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने के कानून का सभी राज्यों को समर्थन करना चाहिये। महिला सशक्तिकरण के लिए कानून के साथ इसे लागू करने की संकल्प शक्ति भी जरूरी है। समाज में महिला सशक्तिकरण के माध्यम से परिवर्तन की लहर आई है। समाज का नज़रिया बदलने की जरूरत है।

## मुख्यमंत्री की घोषणाएँ

- स्व-सहायता समूहों के ऋण लेने पर कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं।
- स्व-सहायता समूहों द्वारा निर्मित सामग्री के विक्रय के लिए बड़े शहरों में व्यवस्था की जाएगी।
- जिला, ब्लॉक, पंचायत स्तरों पर प्रशिक्षण के लिए आवश्यकतानुसार भवन उपलब्ध कराये जाएंगे। जहाँ आवश्यकता होगी, वहां भवन किराये पर लेकर समूहों को दिये जाएंगे।
- शासकीय शालाओं की यूनीफॉर्म सिलने का कार्य समूहों को दिया जाएगा।
- आँगनवाड़ियों में बच्चों तथा माताओं के लिये गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री निर्माण और प्रदाय करने का कार्य भी चरणबद्ध तरीके से महिला समूहों के फेडरेशन को दिया जायेगा।
- योग्य समूहों के परिसंघों को पाँच करोड़ रुपये की राशि की सीमा तक बैंकों से ऋण लेने पर सरकार द्वारा गारंटी दी जाएगी।
- महिला स्व-सहायता समूहों को तीन प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान तीन लाख रुपये तक की ऋण सीमा तक दिया जाएगा।
- प्रत्येक स्व-सहायता समूह के परिसंघ को संकुल स्तर पर अनाज भण्डारण के लिए आवश्यकतानुसार व्यवस्था की जाएगी।
- स्व-सहायता समूहों द्वारा तैयार जैविक कीटनाशक, जैविक खाद, जैविक कल्चर, सरकार खरीदेगी और किसानों को देगी।
- विकासखण्ड स्तर पर मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के संचालन का दायित्व स्व-सहायता समूह और उनके परिसंघ को दिये जाएंगे।
- ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत बिल वसूलने की जिम्मेदारी स्व-सहायता समूहों को दी जायेगी। उन्हें छह हजार रुपये मानदेय दिया जायेगा। औसत से ज्यादा राजस्व वसूली करने पर उन्हें पंद्रह प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।

प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए सार्थक प्रयासों और अमल की प्रशंसा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि मध्यप्रदेश ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में इतिहास बनाया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा महिलाओं के स्व-सहायता समूहों को बैंक लोन उपलब्ध कराने की पहल सराहनीय है।

सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने और स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण देने से समाज में बड़ा परिवर्तन आयेगा। यदि महिलाओं को आगे बढ़ने के अवसर दें तो वे समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं और अपने अधिकारों की रक्षा स्वयं कर सकती हैं। परिवार में यदि महिलाएं आगे बढ़ें तो पूरे परिवार में समृद्धि लाती हैं।

पहले स्व-सहायता समूह आंदोलन दक्षिण भारत में ही सीमित था। अब इस आन्दोलन ने मध्यप्रदेश में भी तेज गति पकड़ ली है। प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ न कुछ प्रतिभा है। इसलिये प्रतिभाओं का पूरा उपयोग किया जाना चाहिए। पर्याप्त प्रशिक्षण देकर आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराये जाना चाहिए। उप राष्ट्रपति ने इस दिशा में मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा किये जा रहे प्रयासों की सराहना की।

**स्व-सहायता समूहों के ऋण की गारंटी देगी सरकार**

भोपाल के जम्बूरी मैदान में स्व-सहायता समूह सम्मेलन के इस विशाल समागम में

***नये भारत का निर्माण महिला सशक्तिकरण से ही होगा। सभी राज्यों को महिलाओं को आरक्षण देने के कानून का समर्थन करना चाहिये। मध्यप्रदेश में महिला सशक्तिकरण के माध्यम से परिवर्तन की लहर आयी है। प्रदेश में स्व-सहायता समूहों को बैंक ऋण उपलब्ध कराने की राज्य सरकार की पहल सराहनीय है। यह बात उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने भोपाल में आयोजित महिला स्व-सहायता समूहों के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महिलाओं के स्व-सहायता समूहों के माध्यम से प्रदेश में नारी शक्ति की नई चेतना का उदय हुआ है।***

प्रगति और विकास की संभावनाओं का उद्घोष करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नये मध्यप्रदेश और नये भारत के निर्माण में आर्थिक रूप से सशक्त महिलायें मुख्य भूमिका निभायेंगी। मध्यप्रदेश में महिलाओं के स्व-सहायता समूह के माध्यम से नारी शक्ति की नई चेतना का उदय हुआ है। ग्रामीण मध्यप्रदेश में महिलायें नेतृत्व संभाल रही हैं। महिलाओं को अवसर देने के कारण आज वे स्थानीय शासन को सक्षमता के साथ चला रही हैं। सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। शिक्षकों की भर्ती में उन्हें 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।

स्व-सहायता समूहों के कार्यों को व्यापक और विस्तृत दिशा देते हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महिलाओं के स्व-सहायता समूह के फेडरेशन को टेक होम राशन निर्माण की फैक्ट्री चलाने की जिम्मेदारी दी जायेगी। उनके उत्पादों की बिक्री के लिये बड़े शहरों में बाजार स्थापित किये जायेंगे। शहरों में स्थित मॉल में किराये से दुकानें लेकर इनके उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री की जायेगी।

महिला स्व-सहायता समूहों के फेडरेशन को मिलने वाले पांच करोड़ रुपये

## मुख्य बिन्दु

- प्रदेश के लगभग एक लाख स्व-सहायता समूह सदस्यों के सम्मेलन सह प्रशिक्षण का महाआयोजन संपन्न।
- आयोजन में स्व-सहायता समूह के सदस्य आत्मविश्वास से भरे हुए थे।
- प्रदेश के सुदूर अंचल से महिला स्वावलम्बन की अनेक गाथाओं ने स्वयं अपना परिचय दिया।
- मुख्यमंत्री ने की कई घोषणाएं।
- हर जिले में होगा महिला शक्ति संगम।
- उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने स्व-सहायता समूहों के सम्मेलन को सुंदरतम और मुख्यमंत्री को सुंदर कहा।
- उप राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री तथा आयोजन में शामिल अन्य गणमान्य अतिथियों और प्रतिनिधियों ने स्व-सहायता समूह के उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया।
- मुख्यमंत्री ने राज्य आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित महिलाओं के स्व-सहायता समूह के उत्पादों को ब्रांडेड कंपनियों के उत्पादों से बेहतर बताया और कहा कि वे स्वयं इन उत्पादों का उपयोग करेंगे।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि आजीविका समूहों द्वारा निर्मित जड़ी-बूटी युक्त साबुन, कुटकी चावल, अगरबत्ती, रोस्टेट अलसी, गुड़ और फल्ली दाने की चिक्की, फूलमालाएं, हल्दी पाउडर जैसे उत्पादों की वे स्वयं ब्रांडिंग करेंगे।
- सरकार इन उत्पादों को खरीद कर इन्हें प्रोत्साहित करेगी।
- स्व-सहायता समूहों की सहायता और मार्गदर्शन के लिये तकनीकी सलाहकार और विशेषज्ञ जोड़े जायेंगे।

तक के लोन की बैंक गारंटी सरकार लेगी। राज्य आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित और अन्य स्व-सहायता समूह द्वारा लिये गये ऋण पर देय ब्याज का तीन प्रतिशत ब्याज सरकार चुकायेगी। उन्हें स्टाम्प शुल्क नहीं लगेगा।

**प्रदेश में गरीब कल्याण के प्रयास**

प्रदेश में गरीब कल्याण और विकास के लिए चलाये जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुये मुख्यमंत्री ने बताया कि कोई भी गरीब व्यक्ति बिना घर के नहीं रहेगा। उसके पास रहने के लिये जमीन का टुकड़ा होगा। शहरों में आवास के लिये मल्टी स्टोरी फ्लैट बनाये जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की सहायता से पक्का घर बनाने के लिये उन्हें मदद दी जायेगी। इसके लिये अभियान चलाया जायेगा।

श्री चौहान ने कहा कि बच्चों को मुफ्त में पाठ्य-पुस्तकें दी जा रही हैं। उन्हें स्कूली गणवेश दिया जायेगा। इसकी सिलाई का काम महिलाओं के स्व-सहायता समूह को दिया जायेगा। बारहवीं कक्षा में पास होने वाले

मेधावी विद्यार्थियों की पढ़ाई का खर्चा सरकार उठायेगी।

उज्ज्वला योजना के अंतर्गत ग्रामीण बहनों को गैस कनेक्शन दिये जा रहे हैं। चरण पादुका योजना के अंतर्गत महुआ, तेंदूपत्ता और अन्य वनोपज बीनने वाली बहनों को चप्पलें और पानी की कुप्पी दी जायेगी। उन्हें वनोपज संग्रहण का पूरा पारिश्रमिक दिलवाया जायेगा।

**हर जिले में होगा महिला शक्ति संगम**

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्व-सहायता समूह आर्थिक रूप से खुद को समृद्ध बनाने के अलावा सामाजिक जन-जागरण का काम भी करेंगे। इसमें नशा-मुक्ति, बाल विवाह रोकने, बेटी बचाओ-बेटी बढ़ाओ अभियान चलाने जैसे काम शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियों की गरिमा को धूमिल करने वाले नर-पिशाचों को फांसी देने का कानून बनाया जा रहा है। हर जिले में महिला शक्ति-संगम आयोजित होगा। इसके माध्यम से आर्थिक कल्याण और सामाजिक जन-जागरण के काम को आगे बढ़ाया जायेगा। इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने स्वागत भाषण दिया। इसमें उन्होंने बताया कि 1 लाख 51 हजार स्व-सहायता समूहों को 1910.79 करोड़ रुपये का बैंक ऋण दिलाया गया है। अगले साल समूहों से 5 लाख परिवारों को जोड़ने की कार्य योजना बनायी जायेगी। इस अवसर पर महिला स्व-सहायता समूह के सदस्यों ने अपने अनुभव साझा किये। शिवपुरी की श्रीमती दाना जाटव, मंडला की श्रीमती शशि मसराम और डिण्डोरी की श्रीमती विमला नागदेव ने अपने विचार व्यक्त हुये बताया कि कैसे उन्होंने स्व-सहायता समूहों से जुड़कर अपने परिवार की आर्थिक समृद्धि का रास्ता तय किया।

कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल गौर, अनुसूचित जाति कल्याण एवं नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री श्री लाल सिंह आर्य,

सहकारिता राज्य मंत्री श्री विश्वास सारंग, संस्कृति, पर्यटन राज्य मंत्री श्री सुरेन्द्र पटवा, सांसद श्री आलोक संजर, भाजपा राज्य अध्यक्ष श्री नंदकुमार सिंह चौहान, भोपाल महापौर श्री आलोक शर्मा, विधायक श्री सुरेन्द्रनाथ सिंह, श्री विष्णु खत्री एवं बड़ी संख्या में स्व-सहायता समूह की सदस्य महिलाएं उपस्थित थीं। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस ने आभार व्यक्त किया।

● **मनोज खरे**
(संयुक्त संचालक, जनसंपर्क)

# आजीविका मिशन ने बदली पाचली दीदी और अन्य महिलाओं की किस्मत

ग्राम लोढ़नी की पाचली दीदी के परिवार में 8 सदस्य हैं। जमीन कम होने से सिर्फ कृषि पर निर्भर नहीं रह कर मजदूरी करना जरूरी हो चुका था। गाँव में मजदूरी न मिलने से हर वर्ष गुजरात पलायन करना ही पड़ता था।

सात्विक विचारधारा वाली पाचली दीदी गाँव के विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में भी सोचती थीं। पर क्या करें? कैसे करें? यह समझ नहीं आता था। मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ब्लॉक सोण्डवा, जिला अलीराजपुर के जरिये जब पाचली दीदी स्व-सहायता समूह से जुड़ीं तो उन्होंने न सिर्फ खर्चों में कटौती कर बचत करना सीखा, बल्कि समूह में बोलने, विचार रखने, सुनने, निर्णय करने, घर से बाहर बैंक एवं अन्य शासकीय कार्यालय आने-जाने के साथ ही अन्य सामाजिक मुद्दों पर उनकी जागरुकता बढ़ी। जब उन्हें प्रशिक्षण और शैक्षणिक भ्रमण कराया गया तब गरीबी से बाहर आने के लिए क्या करना है, की समझ बढ़ी। आंध्रप्रदेश का भ्रमण करने के बाद उन्होंने अपने गाँव की 44 गरीब, अति-गरीब और विधवा महिलाओं को 4 समूहों से जोड़ा।

समूह बने लगभग दो वर्ष हो गये हैं। सभी सदस्यों ने आजीविका गतिविधियों के संचालन के लिए ऋण लिया है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हुई है। खुद पाचली दीदी ने 10 हजार रुपये के ऋण तथा 5000 रुपये की अपनी जमा पूँजी मिलाकर आटा चक्की चालू की। इससे उनके पति को भी रोजगार मिला और परिवार की मासिक आय में 6000 रुपये का इजाफा हुआ। पाचली दीदी ने अपनी प्रशिक्षित बहू को सिलाई की दुकान खुलवा दी। उनकी अच्छी छवि और पहचान की बदौलत बहू को सिलाई का काम भी ज्यादा मिलने लगा। अब बहू भी 5000 रुपये मासिक कमा रही है। वर्तमान में उन्होंने छोटी-सी किराना दुकान भी शुरू की है, जिससे मासिक रूप से 3000 रुपये के लगभग आय होती है। अब पाचली दीदी ने दोना निर्माण की हैमर मशीन भी 10 हजार रुपये में खरीद ली है, जिससे आठ घंटे औसत कार्य करने पर 240 से 300 रुपये तक दैनिक मजदूरी घर पर ही प्राप्त होती है। कच्चे माल की आपूर्ति एवं खरीद गुजरात के व्यापारी द्वारा की जाती है।

पाचली दीदी के उत्साह एवं रुचि को देखते हुए जिला-स्तर पर उन्हें समुदाय मास्टर प्रशिक्षक के रूप में चुनकर प्रशिक्षण दिलवाया गया। आज पाचली दीदी अन्य गाँव जाकर समूह में जुड़ने के लिए महिलाओं को प्रेरित करती हैं। हाल ही में उन्होंने ग्राम की 110 महिलाओं (समूह सदस्य) को साथ लेकर पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का संदेश देने के लिए एक जागरुकता रैली निकाली। रैली में महिलाओं द्वारा शौचालय की मांग की गई। समग्र स्वच्छता अभियान के माध्यम से ग्राम संगठन को 85 शौचालय निर्माण के लिए 10 लाख 20 हजार रुपये प्राप्त हुए हैं, जिसमें से वर्तमान में 68 शौचालयों के निर्माण पूर्ण किया जाकर उपयोग भी सुनिश्चित हुआ है और शेष का निर्माण जारी है। पाचली दीदी को उत्कृष्ट सामाजिक कार्यों के लिए उत्कृष्ट महिला का पुरस्कार भी मिला है।

**मध्यप्रदेश में समावेशी विकास की ओर बढ़ते कदमों और समृद्ध मध्यप्रदेश निर्माण के लिए व्यापक प्रयास किये गये हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए आर्थिक स्वावलम्बन की दिशा में होने वाले सार्थक प्रयत्नों के परिणाम अब धरातल पर दिखाई देने लगे हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आजीविका कार्यक्रमों का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा स्व-सहायता समूह निर्माण की दिशा में अभिनव पहल की गयी है। मिशन द्वारा 2 लाख 3 हजार 244 स्व-सहायता समूहों के माध्यम से 23.28 लाख परिवारों को लाभ प्राप्त हो रहा है। प्रदेश की ग्रामीण महिलाएँ आत्मनिर्भर होने के साथ समाज में नेतृत्व थामे सशक्तिकरण की अनुकरणीय गाथाएँ लिख रही हैं। प्रस्तुत है आजीविका और आर्थिक उत्थान को लेकर मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय विभाग श्री गोपाल भार्गव से मध्यप्रदेश पंचायिका के लिए रंजना चितले से हुई बातचीत के अंश -**

# मध्यप्रदेश में महिला सशक्तिकरण के सफल परिणाम

- **सशक्त मध्यप्रदेश निर्माण के लिये आप क्या जरूरी मानते हैं। मध्यप्रदेश सरकार इसके लिये क्या कर रही है?**

●● प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिये यूं तो सभी वर्गों का विकास करना जरूरी है। लेकिन सबसे जरूरी है, महिलाओं का सशक्तिकरण। महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक रूप से सशक्त और संगठित करने के लिये प्रदेश सरकार कई कार्यक्रम चला रही है।

- **महिला सशक्तिकरण के लिए आपके विभाग द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं।**

●● पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तहत राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन महिलाओं को छोटे-छोटे स्व-सहायता समूहों से जोड़कर पहले ग्राम संगठन स्तर पर कार्य किया जा रहा है, फिर ग्राम संगठनों का संकुल स्तरीय संगठनों के माध्यम से संस्थागत विकास किया जा रहा है। स्थाई आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के लिये लगातार प्रशिक्षण और उन्मुखीकरण किया जा रहा है।

- **ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य क्या है। मिशन द्वारा क्या कार्य किये जा रहे हैं?**

●● ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत निर्धन परिवारों को आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक रूप से सशक्त बनाने के लिये स्व-सहायता समूहों के माध्यम से संगठित करना, परिवारों को उपयोगी स्व-रोजगार तथा कौशल आधारित रोजगार एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराना, निर्धनों की आजीविका को बेहतर बनाने के लिये आजीविका के विकल्पों में वृद्धि करना, मांग अनुसार कौशल विकास करना मुख्य उद्देश्य है, साथ ही स्वरोजगार और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिये काम किया जा रहा है।

- **आजीविका मिशन के समूह से किस तरह जुड़ सकते हैं?**

●● सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण सूचकांक के आधार पर सभी ग्रामीण गरीब परिवारों की एक महिला सदस्य को स्व-सहायता समूह में शामिल किया जा रहा है। एक स्व-सहायता समूह में 10 से 20 महिला सदस्य हो सकती हैं। स्व-सहायता समूह में गरीबी से बाहर आने के लिये संगठित होकर समान सोच के साथ काम करने के लिये 11 सूत्रों का पालन किया जाना आवश्यक है।

- **समूह के वे 11 सूत्र क्या हैं और इनका महत्व क्या है?**

●● ग्यारह सूत्रों का पालन करना ही एक मात्र प्रमुख वजह है जो आजीविका मिशन में स्व-सहायता समूहों को अन्य समूहों से अलग करता है। आजीविका मिशन के सभी समूह सदस्य पूरी तरह अनुशासन में रहकर इन 11 सूत्रों का पालन करते हैं। सूत्र इस प्रकार हैं।

1. नियमित साप्ताहिक बैठक।
2. नियमित साप्ताहिक बचत।
3. नियमित लेनदेन।
4. नियमित ऋण वापसी।
5. नियमित साप्ताहिक दस्तावेजीकरण।
6. बेहतर स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण का नियमित पालन।
7. समयानुसार अनिवार्य शिक्षा का पालन।
8. त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं के साथ सक्रिय भागीदारी
9. पात्रता तक पहुँच।
10. संवहनीय आजीविका।
11. नकद रहित व्यवहार।

इन सूत्रों को समझते हुए इनका पालन करने से समूह सदस्य अनुशासित और जागरूक बनते हैं। इसलिये 11 सूत्रों का पालन महत्वपूर्ण है।

- **आजीविका मिशन प्रदेश के कितने जिलों में कार्य कर रहा है।**

●● वर्तमान में आजीविका मिशन 43 जिलों के 271 विकासखंडों में सघन रूप से कार्य कर रहा है। शेष 42 विकासखण्डों में जिला पंचायतों के माध्यम से मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

- **आजीविका मिशन के समूहों से प्रदेश में कितने परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।**

●● वर्ष 2012 में मिशन की शुरुआत से लेकर अब तक लगभग 23.28 लाख परिवारों को 2,03,244 स्व-सहायता समूहों से जोड़कर लाभान्वित किया गया है। इनमें से 14 लाख से अधिक परिवार आजीविका गतिविधि से जुड़ चुके हैं। लगभग 1.43 लाख से अधिक परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक है। प्रदेश में लगभग 16 हजार से अधिक ग्राम संगठन, 346 संकुल स्तरीय संगठन बनाये जा चुके हैं।

- **स्व-सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या सहायता दी जाती है।**

●● समूहों की क्षमताओं और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और समूह सदस्यों की छोटी-छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये समूह गठन के तीन माह बाद प्रथम ग्रेडिंग के बाद प्रत्येक समूह को दस से पन्द्रह हजार रुपये तक रिवाल्विंग फण्ड (चक्रीय निधि) की राशि दी जाती है। समूह की गरीब सदस्यों की जरूरतों के लिए पूंजी की उपलब्धता सहज रूप से सामुदायिक संगठन के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है। यह राशि प्रदान करने से पहले ग्राम संगठनों के समूह सदस्यों को वित्तीय अनुशासन और नेतृत्व जैसे मुद्दों पर प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके पश्चात छः माह बाद द्वितीय ग्रेडिंग के आधार पर समूहों को सी.आई.एफ. (सामुदायिक निवेश निधि) दी जाती है जो कि सूक्ष्म साख योजना के अनुसार 70 हजार से 1 लाख, 10 हजार रुपये तक हो सकती है। यह राशि ग्राम संगठन के 50 प्रतिशत समूहों की संख्या के अनुसार प्रदान की जाती है। अति गरीब वर्गों के व्यक्तियों एवं परिवारों को आने वाली आपदाओं का सामना करने के लिए आपदा कोष का उपयोग किया जाता है।

- **आजीविका मिशन किन-किन गतिविधियों द्वारा गरीब परिवारों के विकास के लिए कार्य कर रहा है?**

●● कृषि आधारित गतिविधियां, पशुपालन, वनोपज संग्रहण, गैर कृषि आधारित गतिविधियां, लघु उद्यमिता गतिविधियां चलाई जा रही हैं, जिसमें प्रमुख रूप से आगरबत्ती निर्माण, सेनेटरी नैपकिन, साबुन, नील, गुड़ चिक्की, वस्त्र सिलाई, फिनायल तथा प्रसंस्कृत उत्पाद जैसे शहद, गुड़, मुरब्बा, अचार, आलू चिप्स, घी, मावा इत्यादि का निर्माण किया जा रहा है।

- **गरीबी उन्मूलन, आजीविका और महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य करने वाले मध्यप्रदेश आजीविका मिशन ने क्या कोई विशेष कार्य किये हैं और क्या आप इससे संतुष्ट हैं?**

●● मिशन ने 1,51,438 समूहों को बैंकों से 1910.79 करोड़ का ऋण दिलाया है। समूहों का लेनदेन सरल करने की दृष्टि से 215 बैंक सखी और 374 बैंक बिजनेस करस्पॉन्डेन्स प्रशिक्षित होकर कार्य कर रहे हैं। समुदाय आधारित बीमा सुरक्षा संस्थान में 24 जिलों में गठित 81,647 सदस्य जोड़े जा चुके हैं। 1448940 परिवारों को आजीविका गतिविधियों से जोड़ा गया है। स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सब्जियां तथा अन्य उत्पादों के विक्रय के लिये 472 आजीविका फ्रेश चलाये जा रहे हैं। एस.आर.आई. पद्धति से 142802 हितग्राहियों द्वारा धान का उत्पादन खरीफ सीजन में किया गया। जिससे उत्पादन में लगभग दो गुना वृद्धि हुई है। लगभग

772635 "आजीविका पोषण वाटिका" तैयार की गई हैं। जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 591219 हितग्राहियों द्वारा वर्मी पिट और नाडेप बनाए गए हैं। 393107 कृषकों को व्यावसायिक सब्जी उत्पादन के साथ जोड़ा गया है। 89269 परिवारों द्वारा दुग्ध उत्पादन गतिविधि आरंभ की गई हैं। 1.5 लाख परिवारों द्वारा गैर कृषि आजीविका गतिविधियाँ चलाई जा रही है। स्व-सहायता समूहों की 11,931 हजार से अधिक महिलाओं द्वारा परिधान तैयार किए जा रहे हैं। मिशन द्वारा 159 सेनेटरी नेपकिन इकाईयां स्थापित की गई हैं, जिसमें स्व-सहायता समूहों की 5608 महिलाएं जुड़ी हैं। अगरबत्ती उत्पादन केन्द्र 525 चलाये जा रहे हैं, जिनसे 4713 समूह सदस्य जुड़कर लाभान्वित हो रहे हैं। 35 जिलों में 2877 समूह सदस्यों द्वारा साबुन निर्माण किया जा रहा है। 20 जिलों के 65 विकासखण्डों में 698 समूह सदस्यों द्वारा गुड़, मूंगफली चिक्की निर्माण कार्य किया जा रहा है। विविध स्तर पर आजीविका मिशन द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। इससे हम निश्चित तौर पर संतुष्ट हैं।

- **उपलब्धियां देखकर लग रहा है कि आजीविका मिशन द्वारा अच्छा काम किया जा रहा है, क्या राष्ट्रीय स्तर पर मिशन को कोई सम्मान प्राप्त हुआ है।**

●● प्रदेश के 3 सर्वश्रेष्ठ समूह तथा 1 ग्राम संगठन को उत्कृष्ट कार्य के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। भारत सरकार द्वारा रुपये 1 लाख की राशि प्रति समूह तथा रुपये 2 लाख की राशि ग्राम संगठन को दी गई। राष्ट्रीय आरसेटी दिवस के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा स्वरोजगार क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए म.प्र. दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को 7 जून 2017 को पुरस्कृत किया गया है। 19 जून 2017 को आजीविका गतिविधियों के संचालन के लिए अन्य प्रदेशों की तुलना में बेहतर कार्य के लिए मध्यप्रदेश

दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया।

- **क्या मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा कोई नवाचार किये गये हैं।**

●● हाँ, कई नवाचार किये गये हैं, समूहों का लेन-देन सरल करने की दृष्टि से 215 बैंक सखी तथा 374 बैंक बिजनेस करस्पॉन्डेन्स प्रशिक्षित किये गये हैं। समुदाय आधारित बीमा संस्थानों से 24 जिलों में 81,647 सदस्य जोड़े गये हैं। 31 जिलो में सामुदायिक प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जा रहे हैं।

- **क्या बेरोजगारी दूर करने के लिए रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम भी चलाये जा रहे हैं।**

●● दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) का घटक है। जिसका उद्देश्य गरीब ग्रामीण युवाओं का कौशल विकास करना और उन्हें न्यूनतम मजदूरी या इससे अधिक नियमित मासिक मजदूरी वाले रोजगार दिलाना है। 18 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवाओं को रोजगार तथा स्व-रोजगार से जोड़ने की दिशा में युवाओं का डाटाबेस एकत्र किया जाता है फिर उन्हें स्वरोजगार प्रशिक्षण के बाद स्वरोजगार स्थापना के लिए सहयोग प्रदान किया जाता है। इसके अलावा युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए विकासखण्ड और संकुल स्तर पर रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इन सभी प्रयासों से 6 लाख 27 हजार ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण और रोजगार मेला तथा आरसेटी के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान किये गये हैं। साथ ही मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से 35021 युवाओं को लाभान्वित किया जा चुका है।

- **पंचायिका के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे?**

●● मध्यप्रदेश के सभी पंचायत प्रतिनिधि और आमजन आजीविका मिशन के महत्व को समझें और इससे लाभ प्राप्त करें। निश्चित ही इसके माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ निर्धन परिवारों की आर्थिक और सामाजिक प्रगति संभव है। जरूरत इस बात की है कि मिशन के साथ मिलकर अपने विकास के लिए प्रयास किये जायें। यदि यह संभव हुआ तो निश्चित ही सशक्त, सम्पन्न, समृद्ध मध्यप्रदेश का निर्माण संभव है।

# स्व-सहायता समूह सम्मेलन की घोषणाओं की समीक्षा

**सामाजिक अन्याय को समाप्त करने और महिलाओं की आर्थिक समृद्धि को मजबूत बनाने की दिशा में महिला स्व-सहायता समूह के रूप में नई ताकत उभर रही है। आवश्यकता इसे उचित दिशा देने की है। महिला स्व-सहायता समूहों को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने के लिये विपणन और पैकेजिंग आदि कार्यों में इनका आवश्यक सहयोग लिया जाए और सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आगामी जनवरी माह से मार्च माह तक सभी जिलों में जिला स्तरीय महिला स्व-सहायता समूहों के सम्मेलन किये जाएं।**

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में 20 दिसम्बर को महिला स्व-सहायता समूह सम्मेलन में की गई घोषणाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि महिला स्व-सहायता समूहों के जिला स्तरीय शिविर लगाये जायें। बच्चों के पोषण के लिये सहरिया जैसी विशेष पिछड़ी जनजातियों की महिलाओं के बैंक खाते में हर माह एक हजार रुपये की राशि जमा करवाने का कार्य किया जाये। श्री चौहान ने घोषणाओं का अनुपालन निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। समीक्षा में मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सामाजिक अन्याय को समाप्त करने और महिलाओं की आर्थिक समृद्धि को मजबूत बनाने की दिशा में महिला स्व-सहायता समूह के रूप में नई ताकत उभर रही है। आवश्यकता इसे उचित दिशा देने की है। महिला स्व-सहायता समूहों को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने के लिये विपणन और पैकेजिंग आदि कार्यों में इनका आवश्यक सहयोग लिया जाए और सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने कहा कि आगामी जनवरी माह से मार्च माह तक सभी जिलों में जिला स्तरीय महिला स्व-सहायता समूहों के सम्मेलन किये जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्व-सहायता समूहों के उत्पादों की ब्रांडिंग का कार्य भी अत्यंत आवश्यक है। वह स्वयं जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में स्थानीय स्व-सहायता समूहों के उत्पादों के उपयोग के लिए आमजन को प्रेरित करेंगे। उन्होंने कहा कि टेक होम राशन निर्माण योजना स्व-सहायता समूह सशक्तिकरण की अभिनव पहल है। इसका सफल संचालन राज्य की महिलाओं के सशक्तिकरण का अभूतपूर्व कार्य होगा। महिलाओं के स्व-सहायता समूह के फेडरेशन को टेक होम राशन निर्माण की फैक्ट्री चलाने की जिम्मेदारी महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक सशक्तीकरण का प्रभावी साधन साबित होगा।

श्री चौहान ने कहा कि सभी विभाग एकीकृत रूप में कुपोषण के खिलाफ युद्ध स्तर पर कार्य करें। कुपोषण के खिलाफ जंग के ऐलान के लिए पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म-दिवस 25 दिसंबर के अवसर पर कराहल, जिला श्योपुर में शिविर लगाएं। इस मौके पर स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया जाए। पोषण के लिए सस्ती दर पर दालें उपलब्ध करवाने के लिए भी कार्यवाही की जाएं।

मुख्यमंत्री को महिला स्व-सहायता समूहों के सम्मेलन में की गई 17 घोषणाओं के अनुपालन से संबंधित 9 विभागों के प्रमुख सचिव द्वारा कार्य की प्रगति से अवगत कराया गया। इस अवसर पर महिला बाल विकास विभाग द्वारा दो, किसान-कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा तीन, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा छह और वित्त, वाणिज्यिक कर, ऊर्जा, नगरीय विकास एवं आवास, जनजातीय कार्य विभाग द्वारा एक-एक घोषणा के अनुपालन की कार्रवाई की जानकारी दी गई।

# स्व-सहायता समूहों के जरिए महिला स्वावलम्बन की नींव रखता मध्यप्रदेश

प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में व्यापक और प्रभावी पहल की है। मुख्यमंत्री श्री चौहान का मानना है कि आर्थिक स्वावलम्बन से ही महिला सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त होता है। महिलाओं में उद्यमिता और कौशल के जो नैसर्गिक गुण होते हैं उससे महिलाएँ सहजता से आर्थिक स्वावलम्बन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेती हैं।

मुख्यमंत्री की इसी भावना के अनुरूप प्रदेश के 43 जिलों के 271 विकासखण्डों में मध्यप्रदेश दीनदयाल अंत्योदय योजना-राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन पर अमल किया जा रहा है। शेष 42 विकासखण्डों में गैर-सघन रूप से जिला पंचायतों के जरिए मिशन पर अमल हो रहा है। मध्यप्रदेश राज्य महिला वित्त एवं विकास निगम द्वारा भी प्रदेश में 'तेजस्विनी' ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वर्ष 2007 से प्रदेश के छः जिलों डिंडौरी, मण्डला, बालाघाट, पन्ना, छतरपुर और टीकमगढ़ में आरंभ यह कार्यक्रम वर्ष 2018-19 तक जारी रहेगा।

**आजीविका मिशन की प्रमुख उपलब्धियाँ**

मिशन के जरिए अब तक लगभग 23 लाख 28 हजार परिवारों को 2 लाख से ज्यादा स्व-सहायता समूह से जोड़ा जा चुका है। आज की स्थिति में करीब डेढ़ लाख से अधिक समूह सदस्य एक लाख से अधिक आय अर्जित कर रहे हैं। करीब 17 हजार ग्राम संगठन बनाये गये हैं, जिनमें एक लाख 18 हजार समूहों की सदस्यता है। साथ ही 346 संकुल-स्तरीय संगठन भी बनाये जा चुके हैं। विभिन्न जिलों में 31 सामुदायिक प्रशिक्षण केन्द्र संचालित हैं। स्व-सहायता समूहों की बुक-कीपिंग के लिये करीब 92 हजार बुक-कीपर्स प्रशिक्षित किये गये हैं। कम्युनिटी मोबलाइजेशन एवं कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगभग 24 हजार समुदाय स्त्रोत व्यक्तियों का चिन्हांकन कर प्रशिक्षण दिया गया है। लगभग 6 लाख 27 हजार ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण, रोजगार मेला और आरसेटी के जरिए रोजगार के अवसर सुलभ कराये गये हैं। समूहों से जुड़े 35 हजार से ज्यादा हितग्राही मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण और मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना से लाभान्वित हुए हैं। बैंकों से करीब रुपये 1911 करोड़ के बैंक ऋणों से 1,51,438 स्व-सहायता समूह लाभान्वित हुए हैं। समूहों का लेन-देन सरल करने की दृष्टि से 215 बैंक सखी एवं 374 बैंक बिजनेस करस्पॉन्डेंट प्रशिक्षित होकर कार्यशील हैं। प्रदेश के 24 जिलों में समुदाय आधारित बीमा सुरक्षा संस्थान गठित कर 81 हजार 647 सदस्य जोड़े जा चुके हैं।

मिशन द्वारा लगभग 5,000 महिलाओं को कम लागत की कृषि एवं जैविक कृषि के संबंध में प्रशिक्षित किया गया है। आज यह महिलाएँ न सिर्फ प्रदेश, बल्कि देश के अन्य प्रांतों यथा हरियाणा, उत्तरप्रदेश में भी कृषि कार्य में ग्रामीणों को सशक्त कर रही हैं।

मिशन की सबसे बड़ी उपलब्धि 14 लाख 48 हजार 940 परिवारों को आजीविका गतिविधियों से जोड़ना है। स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सब्जियों एवं

अन्य उत्पादों की बिक्री के लिये 442 आजीविका फ्रेश संचालित हैं। समूहों से जुड़े करीब डेढ़ लाख हितग्राहियों ने खरीफ सीजन में एसआरआई पद्धति से धान की फसल बोई, जिससे उत्पादन में लगभग दोगुना वृद्धि दर्ज हुई।

मिशन के दायरे में करीब पौने आठ लाख आजीविका पोषण-वाटिका (किचन-गार्डन) तैयार की गई हैं। करीब 6 लाख हितग्राहियों ने जैविक खेती को अपनाने के उद्देश्य से बर्मी पिट और नाडेप बनाये हैं। समूहों के माध्यम से 3 लाख 90 हजार से ज्यादा किसान व्यावसायिक सब्जी उत्पादन और 89 हजार से ज्यादा परिवार दुग्ध उत्पादन से जुड़ गये हैं। कुल डेढ़ लाख परिवारों ने आजीविका गतिविधियों का संवर्धन किया है।

आज की स्थिति में मिशन से जुड़े स्व-सहायता समूहों की करीब 12 हजार महिलाओं द्वारा परिसंघों के जरिये अथवा

# स्व-सहायता समूह से जुड़कर संपन्न हुआ पिंकी का परिवार

मध्यप्रदेश में लगभग 23 लाख परिवार आजीविका मिशन के माध्यम से स्व-सहायता समूह से जुड़े हैं। 2 लाख से अधिक समूहों ने आर्थिक स्वावलम्बन की अपनी विकास गाथा तय की है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से परिवार में सुख समृद्धि और सम्पन्नता आयी है। ऐसी अनेक सफलता की कहानियाँ हैं जो समूह से जुड़ने के पूर्व विपन्न अवस्था में थे, समूह सदस्य बनने के बाद आर्थिक सहयोग से उनकी वार्षिक आय एक लाख के ऊपर पहुँच गयी और वे लखपति क्लब की सदस्य बन गयीं। ऐसी ही एक सफल कहानी है शहडोल जिले के सुहागपुर विकासखण्ड के कल्याणपुर ग्राम की निवासी पिंकी कुशवाहा की।

समूह से जुड़ने से पहले पिंकी के पति सब्जी बेचने का काम किया करते थे जिससे मात्र 4 से 5 हजार रुपये की आय होती थी। इससे घर का खर्च चलाने में काफी दिक्कत आ रही थी। पिंकी 10वीं तक पढ़ी है। वह अक्सर सोचती थी क्या किया जाये जिससे परिवार की आय बढ़े। वर्ष 2012 में पिंकी आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित लक्ष्मी स्व-सहायता समूह से जुड़ीं। उसे अपने परिवार की आय बढ़ाने का मार्ग मिल गया। समूह से ऋण लेकर उसने पति के सब्जी बेचने के व्यवसाय में पूँजी लगायी। उसके पति ने घर-घर सब्जी बेचने के स्थान पर बाजार में सब्जी की दुकान लगाना शुरू किया। पिंकी के पति की आय बढ़ने लगी। पिंकी ने परिवार की आय और बढ़ाने के लिए बैंक लिंकेज से मिली राशि से किराने की दुकान भी खोल ली और पूरी मेहनत और लगन से अपने काम में जुट गयीं। पति-पत्नि दोनों के काम करने से आय 15 हजार रुपये से अधिक प्रतिमाह होने लगी। अब वे अपना पक्का मकान बनवा रहे हैं। पिंकी को आर्थिक उपार्जन के साथ और आगे पढ़ने की भी इच्छा थी। इसीलिए उन्होंने बी.ए. तक पढ़ाई भी की। पिंकी के व्यवसायिक कदम यहीं नहीं रुके उन्होंने अब साबुन निर्माण का काम भी शुरू कर दिया है। इस तरह आजीविका मिशन के स्व-सहायता समूह से जुड़कर पिंकी का आत्मविश्वास बढ़ता गया और उसका परिवार अब समृद्धि की ओर कदम बढ़ा रहा है।

● **प्रस्तुति : अभिषेक सिंह**
(लेखक स्तंभकार हैं)

स्वतंत्र रूप से परिधान तैयार किये जा रहे हैं। वर्तमान में मिशन की 159 सेनेट्री नेपकिन इकाइयों से समूहों की 5,608 महिलाएँ जुड़ी हैं। सवा पाँच सौ अगरबत्ती उत्पादन केन्द्रों से 4,713 और साबुन निर्माण से 2,877 समूह सदस्य लाभान्वित हो रहे हैं। बीस जिलों के 65 विकासखण्डों में समूह सदस्यों द्वारा गुड़, मूंगफली, चिक्की आदि का निर्माण किया जा रहा है। हथकरघा कार्य से भी 1236 हितग्राही जुड़े हैं।

**समूहों के वित्त पोषण की पहल**

मिशन से जुड़े समूहों की संस्थागत क्षमताओं एवं वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने तथा सदस्यों की छोटी-मोटी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये ग्रेडिंग के बाद प्रत्येक समूह को 10 से 15 हजार तक की राशि रिवाल्विंग फण्ड से दी जाती है। समूह की गरीब सदस्यों की जरूरतों के लिये पूँजी की उपलब्धता सामुदायिक संगठन/ सामुदायिक निवेश निधि से सुनिश्चित की जाती है। यह राशि उपलब्धता के आधार पर ग्राम संगठन के 50 प्रतिशत समूहों को संख्या के मान से दी जाती है। एक आपदा कोष भी संचालित है, जिसका उपयोग अति गरीब वर्गों के व्यक्तियों एवं परिवारों को आने वाली आपदाओं का सामना करने में मदद के लिये किया जाता है।

**प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में व्यापक और प्रभावी पहल की है। मुख्यमंत्री श्री चौहान का मानना है कि आर्थिक स्वावलम्बन से ही महिला सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त होता है। महिलाओं में उद्यमिता और कौशल के जो नैसर्गिक गुण होते हैं उससे महिलाएँ सहजता से आर्थिक स्वावलम्बन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेती हैं। मुख्यमंत्री की इसी भावना के अनुरूप प्रदेश के 43 जिलों के 271 विकासखण्डों में मध्यप्रदेश दीनदयाल अंत्योदय योजना-राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन पर अमल किया जा रहा है।**

मिशन के अंतर्गत 37 उत्पादक कम्पनियाँ कार्यरत हैं। इनमें 29 कृषि आधारित, 4 दुग्ध और 4 मुर्गी-पालन से संबंधित हैं।

बाड़ी विकास कार्यक्रम में बड़वानी में राजपुर, श्योपुर में कराहल एवं डिण्डोरी जिले के समनापुर में पाँच-पाँच सौ हितग्राही के साथ बाड़ी विकसित की गई है। अब तक प्रदेश में कुल 4,500 बाड़ी विकसित की जा चुकी हैं।

विलेज टु कन्ज्युमर ऑनलाइन शॉप, डिजिटल प्लेटफार्म पर भी समूह के उत्पाद उपलब्ध हैं।

# अनुकरणीय - सफल गाथाएँ

## व्यवसायी बनीं श्रीमती किरणबाई

सेमल्या ग्राम के विकासखण्ड सेंधवा, जिला बड़वानी की श्रीमती किरण बाई का समूह से जुड़ने से पूर्व आय का कोई जरिया नहीं था। घर का खर्च मुश्किल से चल पाता था, किरणबाई आर्थिक उपार्जन का जरिया तलाश रही थीं तभी घरेलू कार्य करते हुए पति के साथ परिवार की आमदनी बढ़ाने का विचार बना। किरणबाई समूह से जुड़ीं और समूह से मिले आर्थिक सहयोग से किरणबाई ने कियोस्क सेंटर एवं होटल का व्यवसाय प्रारंभ किया। जिससे इनके परिवार की वार्षिक आय बढ़कर लगभग 3 लाख रुपये हो गई है। किरणबाई कविता स्व-सहायता समूह से वर्ष 2015 में जुड़ी हैं। समूह से जुड़ने के बाद इनकी पहचान घरेलू महिला के साथ-साथ एक व्यवसायी के रूप में परिवर्तित हुआ है।

## श्रीमती तारा कोचले ग्राम भिलखेड़ा, जिला बड़वानी

समूह से जुड़ने से पूर्व प्रायवेट स्कूल में नौकरी तथा छोटी-मोटी घरेलू सिलाई का काम करती थीं, वे इन दोनों कामों से महीने में लगभग दो से ढाई हजार रुपये कमा पाती थीं, जिससे जीवनयापन करना काफी मुश्किल था। श्रीमती कोचले वर्ष 2012 में श्री गणेश स्व-सहायता समूह से जुड़ीं। तत्पश्चात समूह से ऋण लेने के बाद उन्होंने मनिहारी की दुकान के साथ-साथ कोल्डड्रिंक, साड़ी, बैग निर्माण आदि का कार्य प्रारंभ किया। जिससे इनकी वार्षिक आय लगभग 2 लाख 78 हजार रुपये हो गई है। उन्होंने स्वयं का मकान बनवा लिया है, दो बच्चियों को उच्च शिक्षा दिलवा रही हैं। अब इस परिवार का जीवन ही बदल गया है। परेशानियों और आर्थिक तंगी के कठिन दौर से निकलकर यह परिवार एक अच्छा जीवन यापन कर पा रहा है।

## आय कई गुना बढ़ी श्रीमती वर्षा सरवैया की

सिमरिया ग्राम के विकासखण्ड देवरी, जिला सागर की श्रीमती वर्षा सरवैया के पास कृषि भूमि काफी कम थी। आजीविका के अन्य कोई साधन न होने से घर चलाना मुश्किल था। वे वर्ष 2010 में आजीविका मिशन के सपना स्व-सहायता समूह से जुड़ीं। समूह से ऋण लेकर तथा बैंक लिंकेज से प्राप्त राशि का उपयोग कर लहसुन उत्पादन किया तथा भैंस पालन कर दुग्ध विक्रय किया। उन्नत कृषि विधि अपनाकर कृषि उपज बढ़ाई। इस तरह कृषि की उन्नत उपज लेने तथा दुग्ध व्यवसाय से वर्षा की आमदनी कई गुना बढ़ गयी। इनकी वर्तमान में लगभग ढाई लाख रुपये से अधिक सालाना आय है। वे प्रगति संकुल स्तरीय संगठन (सी.एल.एफ.), देवरी की अध्यक्ष हैं।

● **प्रस्तुति : नवीन शर्मा**

### महिला सशक्तिकरण की सार्थक पहल 'तेजस्विनी'

इस कार्यक्रम का उद्देश्य मजबूत और निरन्तरता वाले महिला स्व-सहायता समूहों तथा उनकी शीर्ष संस्थाओं का गठन व विकास करना, इन समूहों और संस्थाओं को सूक्ष्म वित्तीय सुविधाओं से जोड़ना और समूहों को बेहतर आजीविका के अवसर तलाशने तथा इनका उपयोग करने के लिये योग्य बनाना है।

कार्यक्रम का एक और उद्देश्य समूहों को सामाजिक समानता, न्याय और विकास की गतिविधियों के लिये सशक्त करना भी है। जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंधन करना, कड़ी मजदूरी में कमी लाना, पंचायत में पूर्ण भागीदारी देना और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा और अपराध को समाप्त करना। तेजस्विनी योजना के पाँच प्रमुख घटक हैं- सामुदायिक संस्था विकास, सूक्ष्म वित्त सेवाएँ, आजीविका व उद्यमिता और विकास, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय एवं समानता और प्रोग्राम प्रबंधन।

### कार्यक्रम से दो लाख से अधिक महिलाएँ आर्थिक गतिविधियों से जुड़ीं

छः जिलों में चलाये जा रहे इस कार्यक्रम में वर्ष 2016 -17 तक 16 हजार 261 महिला स्व-सहायता समूहों का गठन हो चुका है। इन समूहों से जुड़कर 2 लाख 05 हजार 644 महिलाएँ लाभ पा रही हैं। कार्यक्रम के तहत इन छः जिलों में प्रत्येक ग्राम में चार से पाँच स्व-सहायता समूहों को मिलाकर एक ग्राम स्तरीय समितियाँ भी गठित की गई है। सभी छः जिलों में वर्ष 2016-17 तक 2,682 गाँवों में कुल 2,629 ग्राम स्तरीय समितियाँ कार्यरत हैं। स्व-सहायता समूहों की शीर्ष संस्थाओं के रूप में साठ स्थानों पर साठ फेडरेशन (परिसंघ) भी गठित किये गये हैं। प्रत्येक फेडरेशन में तीन से साढ़े तीन हजार तक महिला सदस्य हैं। फेडरेशन स्वतंत्र रूप से स्व-सहायता समूहों के गठन, सुदृढ़ीकरण और ग्रेडिंग का कार्य कर रहे हैं। फेडरेशन के सदस्यों को इसके लिये विधिवत प्रशिक्षित किया जाता है।

● **सुरेश गुप्ता**
(अपर संचालक, जनसंपर्क विभाग)

# संयुक्त राष्ट्र संघ में बजा कार्यक्रम के नवाचार का डंका

डिण्डोरी जिले में कोदो-कुटकी जैसे मोटे अनाज के स्व-सहायता समूह के माध्यम से विपणन के प्रभावी प्रबंधन से जनजातीय आबादी वाले इलाकों में जीविकोपार्जन का जो नवाचार तेजस्विनी योजना से आरम्भ हुआ था उसकी व्यापक चर्चा रही। संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय न्यूयार्क में जब वैश्विक समागम हुआ तो डिण्डोरी की तेजस्विनी स्व-सहायता समूह की श्रीमती रेखा पन्द्राम को न्यूयॉर्क आमंत्रित किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की इस प्रस्तुति से तेजस्विनी स्व-सहायता समूह को अन्तर्राष्ट्रीय पहचान मिली।

## मध्यप्रदेश की श्रीमती रेखा पन्द्राम ने संयुक्त राष्ट्र संघ में रखे अपने विचार

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा महिलाओं की स्थिति पर गठित आयोग का 61वां सत्र न्यूयॉर्क में दिनांक 13 मार्च से 24 मार्च 2017 तक आयोजित हुआ। इस सत्र में सम्मिलित होने के लिए आइफेड की तरफ से मध्यप्रदेश तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम की एक ग्रामीण आदिवासी महिला को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम द्वारा डिंडौरी जिले के तेजस्विनी नारी चेतना महिला संघ की सचिव श्रीमती रेखा पन्द्राम को नामांकित किया गया।

श्रीमती रेखा पन्द्राम ने न्यूयॉर्क में अपने उद्‌बोधन में बताया कि कैसे डिंडौरी जिले के मेंहदवानी में कोदो-कुटकी की उन्नत खेती, जैविक खाद के उपयोग, उचित भंडारण से फसल उत्पादन कई गुना बढ़ गया। इससे वहां की महिलाओं के जीवन में न सिर्फ आर्थिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन भी हुए हैं और वे हर तरह से सशक्त हुई हैं।

मध्यप्रदेश से गए प्रतिनिधिमंडल में माननीय मंत्री, महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती अर्चना चिटनिस जी, आयुक्त महिला सशक्तिकरण श्रीमती जयश्री कियावत, कार्यक्रम निदेशक, तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम श्री ए.एस. भाल के साथ श्रीमती रेखा पन्द्राम सम्मिलित थीं। यहां माननीय मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस जी ने भी अपना वक्तव्य दिया।

रेखा एक ग्रामीण एवं पहाड़ी क्षेत्र की महिला हैं वह कम पढ़ी लिखी थीं पहले खेती बाड़ी एवं मजदूरी का काम करती थीं। तेजस्विनी कार्यक्रम में जुड़ने से पहले बाकी आदिवासी महिलाओं की तरह घर की चार दिवारी में रहकर ही काम करती थीं।

वर्ष 2008 में तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रय के अन्तर्गत चयनित ग्रामों में समूह के गठन किये जा रहे थे तब रेखा दीदी को समूह गठन की जानकारी मिली। ग्राम फुलवाही में 8 समूहों का गठन किया गया है। जिसमें रेखा दीदी के मोहल्ले में नये समूह के लिये सदस्य नहीं थे तो रेखा दीदी के द्वारा क्लस्टर कोआर्डिनेटर से बातचीत कर उसे भी समूह में जोड़ने के लिये कहा गया। कार्यकर्ता के द्वारा तेजस्विनी खेरापति समूह का गठन किया गया।

समूह में 12 सदस्य हैं। फिर समूह की बैठक में उपस्थित हुई रेखा दीदी ने समूह के सदस्यों के बीच समूह में जुड़ने के लिये बात रखी तो, समूह के सदस्यों ने उसे जोड़ने हेतु बैठक में निर्णय लिया और दीदी से सदस्या शुल्क भी जमा कराया गया।

परियोजना द्वारा कई तरह के प्रशिक्षणों के साथ-साथ वर्मी नाडेप बनाने की जानकारी भी दी गई, रेखा दीदी ने समूह से लोन लेकर खुद वर्मी नाडेप बनाई और समस्त सदस्यों द्वारा लोन के माध्यम से वर्मी नाडेप बनाये।

# मध्यप्रदेश राज्य ग्र

मध्यप्रदेश राज्य आजीविका फोरम (एमपीआरएएफ) मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तहत पंजीकृत समिति है। इसका पंजीयन वर्ष 2007 में किया गया था। एमपीआरएएफ के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन कार्य कर रहा है।

**मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन**

मध्यप्रदेश में राज्य आजीविका फोरम के तहत राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की गयी। जुलाई 2012 से मिशन की शुरुआत ग्रामीण गरीब परिवारों की महिलाओं के सशक्त स्व-सहायता समूह बनाये जाकर उनका संस्थागत विकास तथा आजीविका के संवहनीय अवसर उपलब्ध कराने हेतु हुआ है। भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णय अनुरूप स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के स्थान पर आजीविका मिशन का क्रियान्वयन चरणबद्ध क्रम में चयनित जिलों में किया जा रहा है। वर्ष 17-18 में 43 जिलों के 271 विकासखण्डों में सघन रूप से कार्य किया जा रहा है, प्रदेश के शेष 42 विकासखण्डों में गैर-सघन रूप से जिला पंचायतों के माध्यम से मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

**उद्देश्य**

मिशन का उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों की महिलाओं को स्व-सहायता समूह के रूप में संगठित कर उन्हें सशक्त बनाने के लिये प्रशिक्षित करना तथा समूह सदस्यों के परिवारों को उपयोगी स्व-रोजगार तथा कौशल आधारित मजदूरी के अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि मजबूत बुनियादी संस्थाओं के माध्यम से गरीबों की आजीविका को स्थाई आधार पर बेहतर बनाया जा सके।

**रणनीति**

- गरीब परिवारों के लिये आजीविका के विकल्पों में वृद्धि करना।
- बाहरी क्षेत्र में मांग अनुसार कौशल विकास करना
- स्व-रोजगार तथा उद्यमशीलता को

## श्रीमती धौड़ा बाई अ

**आदिवासी बाहुल्य श्योपुर जिले के रतोंदन गाँव की धौड़ा बाई ने निर्धन घर में जन्म लिया तथा निर्धन परिवार में ही विवाह हुआ। उनके पति शंकरलाल आदिवासी का 4 भाइयों का संयुक्त परिवार था। परिवार के सभी लोग मजदूरी करके गुजारा करते थे। रोज-रोज मजदूरी भी नहीं मिलती थी, उस पर मजदूरी का मेहनताना भी काफी कम मिलता था। घर में फांकाकशी के हालात बन जाते थे। रोटी के लिये विवाद से बचने के लिये धौड़ा की सास चारों बहुओं को बराबर रोटी बांट दिया करती थी। जितनी रोटी हिस्से में आती थी उतने में बच्चों सहित पति-पत्नि का पेट नहीं भर पाता था। गांव में रोजगार की कोई संभावना नजर न आने पर धौड़ा अपने पति व वच्चों सहित दिल्ली, हरियाणा और जयपुर में मजदूरी के लिये निकल गई। इस दौरान एक निर्माणाधीन भवन पर मजदूरी करते समय दीवार ढहने से धौड़ा के 22 वर्षीय पुत्र की मृत्यु हो गई, इस घटना ने धौड़ा बाई को गहरे सदमे में पहुँचा दिया और वह सात साल बाहर मजदूरी करने के बाद वर्ष 2012 में वापस अपने गाँव आ गई।**

**इसी दौरान रतोंदन गाँव में आजीविका मिशन के अंतर्गत स्व-सहायता समूहों का गठन किया गया। महादेव स्व-सहायता समूह से धौड़ाबाई जुड़ गईं।**

# ग्रामीण आजीविका मिशन

प्रोत्साहित करना

**हितग्राही चयन प्रक्रिया**

- हितग्राहियों की पहचान सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण सूचकांक के आधार पर की जा रही है।
- सभी ग्रामीण गरीब परिवारों की एक महिला सदस्य को समयबद्ध रूप से स्व-सहायता समूह में शामिल किया जा रहा है।
- स्व-सहायता समूह का गठन एवं सशक्तिकरण किया जा रहा है।
- रिवाल्विंग फंड, सामुदायिक निवेश निधि, आपदा कोष तथा बैंक लिंकेज के माध्यम से गरीब परिवारों की छोटी-छोटी और बड़ी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है।
- शासन की अन्य योजनाओं से समूहों

## ादिवासी को आजीविका मिशन से मिला रोज़गार

**पहली बार 500 रुपये समूह से ऋण लिया, उसे चुकाने के बाद 20,000 रुपये का ऋण लिया, इस राशि से गाँव में ठेके पर जमीन लेकर खेती शुरू की जिससे 60,000 हजार रुपये की फसल प्राप्त हुई, इससे ऋण चुकाया और खेती की लागत निकालने के बाद बचत भी कर ली। तीसरी बार 40,000 हजार रुपये का ऋण लेकर अपने लड़के को किराने की दुकान खुलवा दी। धौड़ाबाई काफी मेहनती व सक्रिय सदस्य के रूप में पहचान बना चुकी थीं। वह तीन वर्ष तक समूह की अध्यक्ष एवं दो वर्ष तक ग्राम संगठन की अध्यक्ष भी रहीं। समूह के प्रशिक्षण के अलावा सी.आर.पी. का प्रशिक्षण, टी.ओ.टी. प्रशिक्षण, आंध्रप्रदेश में 10 दिवसीय सी.आर.पी. प्रशिक्षण, भोपाल में 10 दिवसीय टी.ओ.टी. प्रशिक्षण, भोपाल में इंटरनल सी.आर.पी. का प्रशिक्षण और तीन दिवसीय सी.आर.पी. रिफ्रेशर प्रशिक्षण कराहल में प्राप्त किया। जिससे उनकी दक्षता में दिन प्रतिदिन निखार आता गया। धौड़ाबाई की दुकान एवं खेती तथा सी.आर.पी. ड्राइव से होने वाली न्यूनतम आय 02 लाख रुपये प्रति वर्ष है। शुरुआती दौर में गरीबी के कारण उनके तीन पुत्र शिक्षित होने से वंचित रह गये परंतु समूह से जुड़कर आर्थिक स्थिति में सुधार होने से उन्होंने अपने छोटे पुत्र को उच्च शिक्षा दिलवाई है। स्वयं के मकान में रहते हुए सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही हैं। 17 दिसंबर 2017 को जम्बूरी मैदान, भोपाल में हुए सम्मेलन में सवा लाख स्व-सहायता समूह सदस्यों के विशाल मंच से उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए, कहा कि वह अब मजदूर से मालिक बन चुकी हैं और यह सब संभव हुआ, स्व-सहायता समूह से मिली आर्थिक मदद एवं आजीविका मिशन के सहयोग से। उनका परिवार जो फांकाकशी के चलते पलायन के लिये मजबूर था, आज अपने ही गाँव में रहकर आराम से जीवन व्यतीत कर रहा है। उनकी आजीविका सुदृढ़ होने से जीवन सुखी हुआ है। ऐसा ही वह अब सी.आर.पी. ड्राइव के माध्यम से अन्य निर्धन लोगों के लिये भी कर रही हैं। जिससे उन्हें बेहद खुशी मिलती है तथा अपने आप पर गर्व महसूस होता है कि वे अपने परिवार के साथ-साथ समुदाय के लिए भी कुछ करने के योग्य बन चुकी हैं।**

● दिनेश दुबे
(सहायक राज्य परियोजना प्रबंधक संचार, म.प्र. आजीविका मिशन)

का समन्वय कर पात्रतानुसार लाभ प्रदान किया जा रहा है।

- स्व-सहायता समूहों के गठन के बाद ग्राम संगठन का गठन किया जा रहा है।
- समूह सदस्यों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, स्वास्थ और जीवन बीमा, परिसंपत्तियों की बीमा सुविधा प्रदान करने में सहयोग किया जा रहा है।
- ग्रामीण युवाओं को रोजगार और स्व-रोजगार के लिये कौशल आधारित प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

**स्व-सहायता समूह (एसएचजी)**

स्व-सहायता समूह गांव की 10 से 20 महिलाओं का समूह जो समान सोच रखती हैं तथा एवं गरीबी से बाहर आने के लिये संगठित होकर प्रयास करना चाहती हैं। समूह की महिलाओं की विचारधारा में आर्थिक तथा सामाजिक स्तर पर समानता स्व-सहायता समूह का प्रमुख आधार है।

**समूह के ग्यारह सूत्र**

1. नियमित साप्ताहिक बैठक
2. नियमित साप्ताहिक बचत
3. नियमित लेनदेन
4. नियमित ऋण वापसी
5. नियमित साप्ताहिक दस्तावेजीकरण
6. बेहतर स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण का नियमित पालन
7. समयानुसार अनिवार्य शिक्षा का पालन
8. त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं के साथ सक्रिय भागीदारी
9. पात्रता तक पहुँच
10. संवहनीय आजीविका
11. नकद रहित व्यवहार

**ग्राम संगठन**

ग्राम संगठन एक ऐसा परिसंघ है जिसमें ग्राम में मौजूद स्व-सहायता समूह भागीदारी करते हैं तथा समूह के सदस्यों के सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कार्य करते हैं। ग्राम संगठन के रूप में समूहों को एक ऐसा मंच मिलता है, जहां पर वे अपने अनुभवों का आदान-प्रदान कर स्वतः सीखते हैं, आपसी सहयोग बनाने के लिए निर्णय कर सकते हैं।

**उप समितियां**

ग्राम संगठन के काम-काज को व्यवस्थित ढंग से करने के लिए कार्यकारिणी के सदस्यों में से चयन कर उप समितियों का गठन किया जाता है। उप समितियों की संख्या ग्राम संगठन की आवश्यकता के अनुसार निर्धारित की जाती है जिसमें तीन से पांच सदस्य होते हैं। जिसमें सामाजिक गतिविधि, ऋण वापसी तथा बैंक लिंकेज, रोजगार, निगरानी, आजीविका उपसमिति प्रमुख उप समितियां हैं।

**रिवाल्विंग फंड (आर.एफ.)**

समूहों की संस्थागत क्षमताओं तथा वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने और सदस्यों की छोटी-छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ग्रेडिंग के पश्चात् प्रत्येक समूह को दस से पन्द्रह हजार रुपये तक की राशि दी जाती है।

**सामुदायिक निवेश निधि (सी.आई.एफ.)**

समूह की गरीब सदस्यों की जरूरतों के लिए पूंजी की उपलब्धता सहज रूप से सामुदायिक संगठन के माध्यम से सुनिश्चित

की जाती है। यह राशि प्रदान करने से पूर्व ग्राम संगठनों के समूहों के सदस्यों को वित्तीय अनुशासन और नेतृत्व जैसे मुद्दों पर प्रशिक्षण दिया जाता है। यह राशि उपलब्धता के आधार पर ग्राम संगठन के 50 प्रतिशत समूहों की संख्या के अनुसार प्रदान की जाती है।

**आपदा कोष**

अति गरीब वर्गों के व्यक्तियों और परिवारों को आने वाली आपदाओं का सामना करने के लिए आपदा कोष का उपयोग किया जाता है।

**सामुदायिक स्त्रोत व्यक्ति**

समुदाय के बीच से ही समूह की अवधारणा के प्रचार-प्रसार, समूह के अभिलेख संधारण, समूह बैठकों का आयोजन, संचालन तथा क्षमता निर्माण, बैंक संयोजन, समूहों की आय अर्जन गतिविधियों में सहयोग, आदि कार्यों के लिए सामुदायिक स्त्रोत व्यक्तियों का चिन्हांकन और उनका क्षमतावर्द्धन किया जाता है। ये सामुदायिक स्त्रोत व्यक्ति स्थाई रूप से सामुदायिक संस्थाओं के सशक्तिकरण में सहभागी बनते हैं।

मिशन द्वारा लगभग 5000 महिलाओं को कम लागत की कृषि तथा जैविक खेती पर प्रशिक्षित किया गया है। ये महिलाएं न सिर्फ प्रदेश के अन्दर कृषि कार्य में ग्रामीणों को सशक्त कर रही हैं, बल्कि अन्य प्रान्तों से भी इनकी मांग आ रही है।

हरियाणा (जिला झज्जर, कैथल, हिसार, भिवानी) एवं उत्तरप्रदेश (जिला जालौन, हमीरपुर, बांदा) में उनके द्वारा सेवाएं दी जा रही हैं।

**रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम**

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) का घटक है। जिसका उद्देश्य गरीब ग्रामीण युवाओं का कौशल विकास करना और उन्हें न्यूनतम मजदूरी या इससे अधिक नियमित मासिक मजदूरी वाले रोजगार दिलाना है। यह भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के ऐसे कार्यक्रमों का समूह है, जो ग्रामीण आजीविकाओं को बढ़ावा देता है।

इसका क्रियान्वयन राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा किया जा रहा है।

18 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवाओं को रोजगार और स्व-रोजगार से जोड़ने की दिशा में युवाओं का डाटाबेस का संधारण किया जा रहा है।

## रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम

- **प्रशिक्षण एवं नियोजन** - प्रशिक्षण उपरांत नियोजन
- **स्वरोजगार प्रशिक्षण** - प्रशिक्षण उपरांत स्वरोजगार स्थापना
- **रोजगार मेला** - विकासखण्ड एवं संकुल स्तर पर रोजगार मेलों का आयोजन

## सम्मान एवं सराहना

- प्रदेश के मिशन अंतर्गत 3 सर्वश्रेष्ठ समूह और 1 ग्राम संगठन को उत्कृष्ट कार्य के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। भारत सरकार द्वारा रुपये 1 लाख की राशि प्रति समूह तथा रुपये 2 लाख की राशि ग्राम संगठन को दी गई।
- राष्ट्रीय आरसेटी दिवस के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा स्वरोजगार क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मध्यप्रदेश दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को 7 जून 2017 को पुरस्कृत किया गया है।
- दिनांक 19 जून 2017 को आजीविका गतिविधियों के संचालन के लिए अन्य प्रदेशों की तुलना में बेहतर कार्य के लिए मध्यप्रदेश दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया।

## सफल गाथा

### श्रीमती तारा कोचले

**ग्राम भिलखेड़ा, जिला बड़वानी**

समूह से जुड़ने से पूर्व प्रायवेट स्कूल में नौकरी तथा छोटी-मोटी घरेलू सिलाई का काम करती थीं, इन दोनों कामों से महीने में लगभग दो से ढाई हजार रुपये कमा पाती थीं, जिससे जीवनयापन करना काफी मुश्किल था। वर्ष 2012 में श्री गणेश स्व-सहायता समूह से जुड़ीं। तत्पश्चात समूह से ऋण लेने के बाद उन्होंने मनिहारी की दुकान के साथ-साथ कोल्डड्रिंक, साड़ी, बैग निर्माण आदि का संयुक्त कार्य प्रारंभ किया। जिससे इनकी वर्तमान आय 2 लाख 78 हजार रुपये लगभग वार्षिक है। उन्होंने स्वयं का मकान बनवा लिया है, दो बच्चियों को उच्च शिक्षा दिलवा रही हैं। इस परिवार का जीवन ही बदल गया परेशानियों और आर्थिक तंगी के कठिन दौर से निकलकर यह परिवार एक अच्छा जीवन यापन कर पा रहा है।

### श्रीमती सरोज पटेल

**ग्राम बरिगवां, विकासखण्ड सीधी, जिला सीधी**

श्रीमती सरोज पटेल वर्ष 2010 में आजीविका मिशन की अम्बे स्व-सहायता समूह की सदस्य बनीं। समूह से जुड़ने से पूर्व इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसके कारण बच्चों को पढ़ाई-लिखाई भी अच्छे से नहीं करा पा रही थीं। परंतु समूह से जुड़ने के बाद इन्होंने सिलाई मशीन, रोड लाईट, डी.जे. एवं आटा चक्की का कार्य प्रारंभ करके अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ की, अब बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला पा रही हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले उन्होंने घर में बोर भी करवा लिया है, जिससे घर में पानी की दिक्कत भी कम हो गई है। अब उन्हें दूर से पानी भर के नहीं लाना पड़ रहा है। वर्तमान में वार्षिक आय लगभग 1 लाख 70 हजार हो गई है।

● **प्रस्तुति : मोहन सिंह पाल**

# मध्यप्रदेश राज्य आजीविका मिशन

## प्रमुख उपलब्धियाँ

- लगभग 23.28 लाख परिवारों को 2,03244 स्व-सहायता समूहों से जोड़ा गया है।
- 16639 ग्राम संगठन बनाए गए हैं, जिनमें 1 लाख 17,920 हजार समूहों की सदस्यता है।
- संकुल स्तरीय संगठन (सी.एल.एफ.) 346 बनाए जा चुके हैं।
- विभिन्न जिलों में सामुदायिक प्रशिक्षण केन्द्र (सी.टी.सी.) 31 संचालित हैं।
- स्व-सहायता समूहों की बुककीपिंग के लिए 91,541 बुक कीपर्स प्रशिक्षित किए जा चुके हैं।
- कम्यूनिटी मोबिलाईजेशन एवं कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 23,937 समुदाय स्रोत व्यक्तियों का चिन्हांकन व प्रशिक्षण किया गया है।
- लगभग 6 लाख 27 हजार ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण एवं रोजगार मेला तथा आरसेटी के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं।
- मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से 35,021 हितग्राही लाभान्वित किए जा चुके हैं।
- बैंकों से 1,51,438 समूहों को रु. 1910.79 करोड़ का ऋण दिलाया गया है।
- समूहों का लेनदेन सरल करने की दृष्टि से 215 बैंक सखी एवं 374 बैंक बिजनेस करस्पॉन्डेन्स प्रशिक्षित होकर कार्यरत हैं।
- समुदाय आधारित बीमा सुरक्षा संस्थान-24 जिलों में गठित 81,647 सदस्य जोड़े जा चुके हैं।
- 1448940 परिवारों को आजीविका गतिविधियों से जोड़ा गया है।
- स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सब्जियां एवं अन्य उत्पादों के विक्रय के लिये 472 आजीविका फ्रेश संचालित किए जा रहे हैं।
- एस.आर.आई. पद्धति से 142802 हितग्राहियों द्वारा धान का उत्पादन खरीफ सीजन में किया गया। जिससे उत्पादन में लगभग दो गुना वृद्धि हुई।
- लगभग 772635 "आजीविका पोषण वाटिका" तैयार की गई हैं।
- जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 591219 हितग्राहियों द्वारा वर्मी पिट और नाडेप बनाए गए हैं।
- 393107 कृषकों को व्यावसायिक सब्जी उत्पादन के साथ जोड़ा गया।
- 89269 परिवारों द्वारा दुग्ध उत्पादन गतिविधि आरंभ की गई हैं।
- 1.5 लाख परिवारों द्वारा गैर कृषि आजीविका गतिविधियों का संवर्धन किया गया है।
- मिशन द्वारा 159 सेनेटरी नेपकिन इकाईयां स्थापित की गई हैं, जिसमें स्व-सहायता समूहों की 5608 महिलाएं जुड़ी हैं।
- अगरबत्ती उत्पादन केन्द्र 525 संचालित हैं, जिनसे 4713 समूह सदस्य जुड़कर लाभान्वित हो रहे हैं।
- 35 जिलों में 2877 समूह सदस्यों द्वारा साबुन निर्माण किया जा रहा है।
- 20 जिलों के 65 विकासखण्डों में 698 समूह सदस्यों द्वारा गुड़, मूंगफली चिक्की का निर्माण कार्य किया जा रहा है।
- प्रदेश में 1236 हितग्राही हथकरघा कार्य में संलग्न हैं।
- 37 उत्पादक कंपनियां (जिनमें 29 कृषि आधारित, 4 दुग्ध, 4 मुर्गीपालन) कार्यरत हैं।
- बाड़ी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बड़वानी में राजपुर, श्योपुर में कराहल एवं डिण्डौरी में समनापुर में 500-500 हितग्राहियों के साथ बाड़ी विकसित की जा चुकी हैं। राज्य में कुल 4506 बाड़ी विकसित की गई हैं।
- विलेज टू कन्ज्यूमर ऑनलाइन शॉप, डिजीटल प्लेटफार्म पर समूह के उत्पाद उपलब्ध।
- लगभग 1,43,145 से अधिक परिवार एक लाख से अधिक वार्षिक आय अर्जित कर रहे हैं।
- लगभग 12,000 से अधिक महिलाओं द्वारा परिसंघों के माध्यम से अथवा स्वतंत्र रूप से परिधान तैयार किये जा रहे हैं।

# बी.पी.एल. से लखपति बनीं स्व-सहायता समूह की महिलाएँ

दीनदयाल उपाध्याय मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्व-सहायता समूहों से जुड़े ग्रामीण निर्धन परिवार, गरीबी से मुक्त होकर समृद्धि की ओर अग्रसर हैं। मिशन के सहयोग से आजीविका के एक से अधिक अवसर उपलब्ध कराये जाने के चलते निर्धन परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। प्रदेश में लगभग 1,43,145 लाख से अधिक सदस्य बी.पी.एल. श्रेणी से लखपति की श्रेणी में पहुंच चुके हैं। अर्थात् उन परिवारों की वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक हो गयी है।

बीपीएल कार्ड बनवाने के लिये जहां लोगों को एड़ी चोटी का जोर लगाते देखा जा सकता है वहीं राजगढ़ जिले के ब्यावरा ब्लॉक अंतर्गत कचनारिया गांव में आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित कैलादेवी स्व-सहायता समूह की सदस्य श्रीमती सुशीला बाई ने अपना बी.पी.एल. कार्ड जमा कर बी.पी.एल. सूची से नाम हटाकर ए.पी.एल. कार्ड बनाने का आवेदन ग्राम पंचायत को देकर मिशाल पेश की है। प्रदेश के सभी जिलों में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन कार्य कर रहा है। प्रदेश में ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हैं, जहां एक से अधिक आजीविका गतिविधियां अपनाकर गरीब परिवार आर्थिक उन्नति कर रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत निर्धन श्रेणी के परिवारों को गरीबी से मुक्त करने के लिये मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा वर्ष 2012 में मध्यप्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत काम शुरू किया गया था। मिशन द्वारा स्व-सहायता समूहों का गठन कर ग्रामीण गरीब परिवारों की महिलाओं को प्रति समूह 10 से 15 सदस्यों को जोड़कर प्रदेश में लगभग 2,03,244 समूहों के माध्यम से 23.28 लाख से अधिक परिवारों को संगठित किया गया है।

समूह सदस्यों के सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण के लिये समय-समय पर विभिन्न प्रशिक्षण परिसंघों (ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संगठनों) के माध्यम से दिये जाते हैं। कौशल उन्नयन कर दक्षता संवर्धन के द्वारा आजीविका के अनेक अवसर उपलब्ध कराये जाने के लिये आर्थिक सहायता दी जाती है। जिसके फलस्वरूप कृषि आधारित गतिविधियों से प्रदेश में 1,43,145 लाख से अधिक ग्रामीण गरीब परिवार इस स्थिति में आ गये हैं कि उनकी न्यूनतम वार्षिक आय एक लाख रुपये से ऊपर है।

ग्रामीण आजीविका मिशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एल.एम. बेलवाल का कहना है कि सामुदायिक विकास की भावना तथा सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिये जो काम मिशन द्वारा किये जा रहे हैं, उन्हीं का परिणाम है कि राजगढ़ जिले के कचनारिया गांव की समूह सदस्य श्रीमती सुशीला बाई ने अपना बी.पी.एल. सूची से नाम हटाये जाने की पहल की है। यह बात जितनी महत्वपूर्ण है, उससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि सुशीला बाई से जब अधिकारियों ने पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रही हैं, बी.पी.एल. कार्ड बहुत मुश्किल से बनता है तो उनका जवाब था कि ईश्वर न करे कि उन्हें बी.पी.एल. श्रेणी की सुविधाओं पर आश्रित रहना पड़े। उन्होंने यह फैसला स्वयं सोच समझकर लिया है ताकि इस सुविधा का लाभ किसी अन्य वास्तविक गरीब को मिल सके। आजीविका मिशन द्वारा जो प्रशिक्षण दिया जाता है, उसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ आत्मविश्वास तथा निर्णय लेने की क्षमता एवं सामुदायिक विकास की भावना विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। आजीविका मिशन द्वारा भवन निर्माण हेतु सेण्टिंग कार्य के लिए प्रशिक्षित कर आर्थिक सहायता मुहैया कराई गई थी, उन्हीं में से एक सुशीला बाई हैं, जो कि सेण्टिंग एवं कृषि आदि संयुक्त गतिविधि कर रही हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में सुशीला बाई की तरह आत्मनिर्भर होकर, सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण की दम पर गरीबी से मुक्ति के कई उदाहरण सामने हैं।

# राजगढ़ का 'बैंक सखी मॉडल' है देश का पहला

राजगढ़ जिले में संचालित "बैंक सखी मॉडल" प्रदेश का प्रथम और संभवतः देश का भी पहला मॉडल है, जहाँ बैंक सखियाँ घर-घर जाकर खाते खोलना, जमा-निकासी, वृद्धावस्था पेंशन बाँटना, स्कूलों में छात्रवृत्ति देना, जॉब-कार्ड का भुगतान करना, बीमा करना, स्व-सहायता समूह का लेन-देन जैसी अनेक सुविधाएँ ग्राम-स्तर पर उपलब्ध करा रही हैं। मध्यप्रदेश दीनदयाल अन्त्योदय योजना- राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा गाँव में गठित स्व-सहायता समूहों और उनके संगठनों को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से "बैंक सखी मॉडल" का नवाचार किया गया है।

राजगढ़ जिले में बैंक सखी मॉडल की शुरुआत अक्टूबर-2015 में 12 ग्रामीण बैंक सखियों को जोड़कर हुई। स्व-सहायता समूह की 12 ग्रामीण महिलाओं को नर्मदा-झाबुआ ग्रामीण बैंक में बैंक सखी बनाकर प्रशिक्षण दिया गया। मार्च-2016 से ये बैंक सखियाँ व्यवस्थित कार्य का संचालन करने लगीं। वर्तमान में 67 बैंक सखियाँ जिले में कार्यरत हैं, जिनमें से 42 बैंक सखी एनजेजीबी बैंक, 23 बैंक ऑफ इण्डिया तथा 2 बैंक सखी पंजाब नेशनल बैंक के लिये कार्य कर रही हैं।

प्रारंभ में बैंक सखी 2 पंचायत के पाँच गाँव में कार्य करती हैं, जो संबंधित बैंक शाखा से 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित हो। छह माह बाद इन बैंक सखियों का कार्य क्षेत्र बढ़ाकर इन्हें 5 पंचायत एवं 10 गाँव का कार्य सम्पादित करने की जिम्मेदारी दी जाती है।

बैंक सखी मॉडल से लगभग 67 ग्रामीण महिलाओं को स्व-रोजगार का अवसर मिला है। यह बैंक सखियाँ न सिर्फ लेपटॉप पर अपना कार्य करती हैं बल्कि ग्रामीण महिलाओं को इस आधुनिक तकनीक से भी अवगत करा रही हैं। जिन गाँवों में विधवा, विकलांग एवं बुजुर्ग दम्पतियों को घंटों लाइन में लगकर अपनी पेंशन की राशि मिलती थी, उन्हें आज इन सखियों के माध्यम से घर बैठे ही पेंशन राशि प्राप्त हो रही है। भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर द्वारा जिले की 12 बैंक सखियों को रणभूमि पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

अब ग्राम स्तर पर बैंक खाते खोलना, समूह के खाते में लेन-देन करना, फण्ड ट्रांसफर

करना, सामाजिक सुरक्षा की पेंशन आदि कार्य गाँव की महिलाओं को बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। ये काम बैंक सखी करती हैं। ग्राम फूंदिया की सखी मंजू बताती हैं कि वह डीपीआईपी द्वारा गठित स्व-सहायता समूह से पिछले पाँच वर्षों से जुड़ी हैं। वर्ष 2015-16 में एनआरएलएम के सहयोग से नर्मदा-झाबुआ ग्रामीण बैंक की बैंक सखी के रूप में मंजू का चयन हुआ।

बैंक सखी बनने के बाद मंजू और इन्हीं की तरह अनेक युवतियों के स्वयं के जीवन में बदलाव आया, उन्हें समाज में प्रतिष्ठा मिली। वर्तमान में ये सभी 5 से 6 हजार रुपये मासिक आय प्राप्त कर रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना एक चुनौती है।

राजगढ़ जिले में स्व-सहायता समूह की महिलाओं को बैंक सखी बनाकर इस चुनौती को आसान बनाया गया है।

# आजीविका गतिविधियों से जुड़कर 14,48,940 हितग्राही लाभान्वित

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रदेश के चयनित जिलों के ग्रामीण अंचलों में स्व-रोजगार के संसाधन मुहैया कराये जा रहे हैं। मिशन के अंतर्गत संचालित कृषि एवं गैर कृषि आधारित आजीविका गतिविधियों से 14 लाख 48 हजार 940 ग्रामीण परिवार लाभान्वित किये जा चुके हैं। ज्ञातव्य है कि प्रदेश के 43 जिलों के 271 विकासखण्डों में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन सघन रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है।

**कम्युनिटी मैनेज्ड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मॉडल** (सीएमएसए) के अंतर्गत वर्तमान में 54 हजार 742 हितग्राहियों के साथ 25 हजार 580 एकड़ भूमि में कृषि मॉडल विकसित किया जा रहा है। इस मॉडल के तहत प्रत्येक हितग्राही की एक एकड़ अथवा 0.5 एकड़ भूमि का उपयोग किया जाता है। इसमें से 0.5 एकड़ अथवा 0.25 एकड़ में एसआरआई/सोयाबीन/खरीफ फसल ली जाती है। शेष 0.5 एकड़ में 7 सतह वेजीटेबल/फल उत्पादन लिया जाता है और रबी सीजन में गेहूँ, चना और सरसों की फसल ली जाती है। इस मॉडल से कृषि उत्पादन पर व्यय न्यूनतम होता है। मजदूरी हितग्राही द्वारा की जाती है और किसान एक एकड़ भूमि से एक लाख रुपये की आय प्राप्त कर सकता है।

**आजीविका फ्रेश** योजना में स्व-सहायता समूह द्वारा उत्पादित सब्जियाँ एवं अन्य उत्पादन के विक्रय की व्यवस्था की जाती है। इस समय प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में 429 आजीविका फ्रेश संचालित की जा रही हैं।

**एसआरआई कार्यक्रम** में एक लाख 35 हजार 276 हितग्राहियों द्वारा 51 हजार 381 एकड़ भूमि में धान का उत्पादन किया जा रहा है। इस पद्धति की सहायता से किसान पारम्परिक तरीके से पैदा की जाने वाली फसल की तुलना में 2 से 3 गुना अधिक फसल प्राप्त कर रहे हैं। मिशन के प्रारंभ से पूर्व एनआरएलपी जिलों में मिशन से जुड़े किसानों द्वारा वर्ष 2012 में 196 एकड़ भूमि में एसआरआई पद्धति से धान का उत्पादन

किया जाता था, जो अब बढ़कर 51 हजार 381 एकड़ हो गया है।

मिशन के अंतर्गत **सिस्टम ऑफ मेज इन्टेन्सिफिकेशन (एसएमआई)** में 2,163 हितग्राहियों द्वारा 73 एकड़ भूमि में नई तकनीक से सरसों का उत्पादन प्रारंभ कराया गया है। **सिस्टम ऑफ व्हीट इन्टेन्सिफिकेशन (एसडब्ल्यूआई)** में वर्ष 2014 से गेहूँ का उत्पादन 15 हजार 389 हितग्राहियों द्वारा किया जा रहा है। इस पद्धति से किसान 2 से 3 गुना तक अधिक फसल का उत्पादन ले रहे हैं। मिशन से जुड़े किसानों द्वारा वर्ष 2012 में 63 एकड़ भूमि में एसडब्ल्यूआई पद्धति से गेहूँ का उत्पादन कराया गया जो अब बढ़कर 771 एकड़ भूमि हो गया है।

कृषि आधारित आजीविका मिशन के अंतर्गत **सब्जी उत्पादन कार्यक्रम** में किसानों को व्यावसायिक सब्जी उत्पादन के लिए प्रेरित किया गया है। वर्तमान में लगभग 3 लाख 91 हजार 814 किसानों को व्यावसायिक सब्जी उत्पादन के साथ जोड़ा गया है। आज की स्थिति में मिशन के अंतर्गत चयनित जिलों में किसानों द्वारा एक लाख 71 हजार 213 एकड़ भूमि में व्यावसायिक सब्जी उत्पादन किया जा रहा है। इससे समूह सदस्यों की की आमदनी में 3 हजार से लेकर 15 हजार रुपये प्रति माह तक की वृद्धि हुई है। **हल्दी उत्पादन** के तहत मिशन में 9,242

# आजीविका मिशन की कृषि सखी प्रीति बनीं प्रगतिशील किसान

सागर जिले के देवरी विकासखण्ड के ग्राम खेरूआ की श्रीमती प्रीति आठ्या प्रगति स्व-सहायता समूह से जुड़ी हैं। बकौल प्रीति वो आज 2 लाख रुपये से अधिक की सालाना आमदनी प्राप्त कर रही हैं। उन्होंने 4 कमरों का पक्का मकान और घरेलू विस्तार के लिये बोरिंग कराने का काम लगाया है। प्रीति के घर में 4 एकड़ असिंचित जमीन थी, जिसमें परंपरागत तकनीक से सोयाबीन, चना और मसूर की खेती होती थी। घर के आठ सदस्यों का पेट भरने का एकमात्र जरिया यही खेती थी। प्रीति ने आजीविका मिशन से जुड़ने पर कृषि सखी का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस प्रशिक्षण में उन्हें खेती में कम लागत से अधिक उत्पादन लेने की तकनीक की जानकारी मिली। इस जानकारी का पहला प्रयोग उन्होंने अपने ही घर की खेती को सुधारने में किया।

प्रीति को पहले खेती से प्राप्त आमदनी घर चलाने के लिये पूरी नहीं पड़ती थी। इस कारण घर के वयस्क सदस्यों के साथ मिलकर मजदूरी भी करती थीं। प्रीति ने 9 हजार रुपये समूह से उधार लिये और अपने 4 एकड़ खेत के साथ-साथ अधिया पर 2 एकड़ जमीन लेकर सोयाबीन लगाया। सोयाबीन से उन्हें 50 हजार रुपये की आमदनी हुई। उन्होंने अपने खेत में इस लागत से कुआं खुदवाना शुरू कर दिया और पहली बार लहसुन और प्याज लगाया। अकेले लहसुन से उन्हें 2,50,000 रुपये प्राप्त हुए। बाकी फसलों ने उनको मजदूरी से छुटकारा दिलवा दिया है। प्रीति को पहली बार घर में इतनी बड़ी रकम फसलों को बेचकर प्राप्त हुई, तो घर के सभी सदस्य उत्साहित थे। घर के लोगों ने प्रीति की सलाह पर 8 एकड़ रकबे में (4 एकड़ अधिया) सब्जी की खेती शुरू की। प्रीति को आजीविका मिशन से उन्नत खेती के गुर प्राप्त हो गये थे, जिनको अपनाकर उसने अपने परिवार का जीवन बदल दिया है।

प्रीति का परिवार आज बहुत खुशहाल है। प्रीति ने खेती में अपनाये तरीकों को कृषि सखी के रूप में अपने गांव के अलावा आस-पास के बाड़ी, बिछुआ, पथरिया, खैरीपदम, पिपरिया, रसेना, सगरा, सिमरिया, बिजौरा के महिला स्व-सहायता समूहों में जाकर बताना शुरू किया है। समूह की महिलाओं को उसने भूमिगत नाडेप, मडका दवा, जिव्रलिक एसिड, बहु-फसली तकनीक बताई है। स्वयं महिलाओं की मदद से प्रदर्शन प्लॉट बनाये, पोषण वाटिकायें, श्रीविधि से गेहूँ, हल्दी की खेती शुरू की। इससे उनके गांव के अलावा कई गांव के लोग उन्हें व्यक्तिगत रूप से कृषि का जानकार मानने लगे हैं। प्रीति ने अपने गांव के अलावा आसपास के 60 एकड़ में प्याज और लहसुन की खेती की शुरुआत की है और समूह की महिलाओं को लाभ की फसल से जोड़ा है।

# महिला स्व-सहायता समूहों ने बनाई फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी 'रेवांचल'

होशंगाबाद जिले के 66 महिला स्व-सहायता समूहों ने मिलकर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी 'रेवांचल' पंजीकृत कर स्व-सहायता समूह को संघ का रूप प्रदान किया है। नाबार्ड के मार्गदर्शन एवं वित्तीय सहयोग से इस कंपनी में 500 महिला सदस्य हैं। कंपनी एक लाख रुपये की अंशपूंजी जमा कर किसानों की आजीविका संवर्धन के लिये कार्य कर रही है। रेवांचल कंपनी जिले के किसानों को फसलों के उत्तम एवं क्वालिटी वाले बीज बाजार मूल्य से कम भाव पर उपलब्ध करा रही है। ऐसी महिला सदस्य जिनके पास खेती की जमीन नहीं है, कंपनी उन्हें मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण दिलाती है। महिला सदस्यों ने मशरूम की खेती प्रारंभ कर दी है। रेवांचल कंपनी अपने दूध उत्पादन से जुड़ी महिला सदस्यों के लिये मिल्क कलेक्शन सेंटर की स्थापना जल्दी ही करने वाली है। रेवांचल कंपनी न केवल आजीविका संवर्धन के लिये काम करती है, अपितु कंपनी के सदस्य डिजिटल इंडिया कैम्पेन, जल संरक्षण अभियान जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। अभी हाल ही में कंपनी के 384 सदस्यों को डिजिटल वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इसी तरह, नाबार्ड द्वारा संचालित जल अभियान में कंपनी की 8 महिलाओं ने कृषि जलदूत बनकर 72 गांव में लोगों को जल-संवर्धन तथा जल-संरक्षण के लिये प्रेरित किया है। अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि ग्रामीण महिलाएं सिर्फ छोटे संगठन चला सकती हैं। रेवांचल कंपनी की महिलाओं ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया है। इस कंपनी के समस्त कार्यों का संचालन, चाहे वो कंपनी के बिजनेस की देखभाल और विस्तार हो अथवा वैधानिक आवश्यकताओं को समय पर पूर्ण करना, इन महिलाओं ने इसे बखूबी संभाल रखा है। आज रेवांचल कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद लाइसेंस भी प्राप्त कर चुकी है। यह निश्चित ही महिला सशक्तिकरण का ज्वलंत उदाहरण है, जहां महिलाएं कंपनी बनाकर अपने सदस्यों का जीवन संवर्धन कर रही हैं। रेवांचल कंपनी का आगामी लक्ष्य तीन वर्षों में अपने सभी सदस्यों को रोजगार से जोड़ते हुए खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना करना भी है। कंपनी ने होशंगाबाद जिले में लाभकारी संस्था के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर ली है।

हितग्राहियों के साथ 4,389 एकड़ भूमि में हल्दी उत्पादन कराया जा रहा है। किसानों को हल्दी का उचित मूल्य दिलाने के लिये बड़वानी और सागर जिले में प्रोसेसिंग संयंत्र लगाकर हल्दी पावडर का विक्रय किया जा रहा है। **अनार उत्पादन कार्यक्रम** के तहत मिशन के विभिन्न जिलों में अनार प्लांटेशन कराया जा रहा है। करीब 3,405 किसान 710 एकड़ भूमि में **अनार उत्पादन** कर रहे हैं। इससे इन किसानों की आमदनी में 3 वर्ष के बाद प्रति एकड़ उत्साहजनक वृद्धि होगी। मिशन के अंतर्गत चयनित जिलों में 19 हजार 442 हितग्राहियों द्वारा आलू उत्पादन किया जा रहा है। वर्ष 2012 में मिशन से जुड़े किसानों द्वारा केवल 376.25 एकड़ भूमि में आलू का उत्पादन किया जाता था और अब 1,505 एकड़ भूमि में आलू का उत्पादन किया जा रहा है। आलू उत्पादन संकुलों में नई कृषि तकनीक का उपयोग करने से डेढ़ से दो गुना वृद्धि हुई है। कोल्ड-स्टोरेज एवं प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आलू का वेल्यू एडीशन भविष्य के लिये सुनिश्चित किया जा रहा है। आलू उत्पादकों की एक प्रोड्यूसर कम्पनी बनाई गई है। इस संबंध में सिद्धि विनायक, पुणे से भी सहयोग लेकर बायबैक एवं मार्केटिंग लिंकेज सुनिश्चित किया जा रहा है।

**वाड़ी विकसित कार्यक्रम** के अंतर्गत आदर्श ब्लॉक बड़वानी में राजपुर, श्योपुर में कराहल एवं डिण्डोरी में समनापुर और जिला धार, शहडोल, मण्डला, अनूपपुर, अलीराजपुर में 4,506 हितग्राहियों का चयन कर वाड़ी विकसित कर हितग्राहियों की आय 10 हजार रुपये प्रति माह तक बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं। जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 5 लाख 84 हजार 134 हितग्राहियों द्वारा वर्मी पिट/नाडेप बनाए गये हैं। इसमें एक फीट से 2.5 से 2.7 टन जैविक खाद निकलती है, जो एक हेक्टेयर खेती के लिए पर्याप्त होती है। इससे हितग्राही जैविक खाद का अधिक से अधिक उपयोग करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जैविक खेती को बढ़ावा मिलना सुनिश्चित है। मिशन के अंतर्गत आगामी वर्षों में प्रमाणिक जैविक खेती कराने की योजना है। कृषि आधारित आजीविका मिशन के अंतर्गत **महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना** का 3 संस्थाओं आसा, प्रदान और कार्ड द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत 35 हजार 116 ग्रामीण महिला किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। परियोजना के क्षेत्र में 28 उत्पादक कम्पनियों का गठन किया गया है। इसमें 20 कृषि आधारित, 4 दुग्ध और 4 मुर्गी-पालन की कम्पनियाँ हैं। इन उत्पादक कम्पनियों से ग्रामीण अंचलों के 43 हजार 499 हितग्राही जुड़े हैं। ग्रामीण अंचलों में 7 लाख 72 हजार 635 आजीविका पोषण वाटिका (Ketchan Garden) तैयार की गई हैं।

● **के.के. जोशी**
(सहायक संचालक जनसंपर्क विभाग)

## पंचायत राज व्यवस्था

# महिला प्रतिनिधियों का क्षमतावर्धन

मध्यप्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी आधे से अधिक है। पंचायत प्रतिनिधि महिलाएँ संख्या में अधिक होने के साथ-साथ उन्होंने कार्य क्षेत्र में अपनी प्रतिभा स्थापित की है। इन महिला पंचायत प्रतिनिधियों में से कई प्रतिनिधियों ने विशेष नवाचार किये हैं जिसके लिए उनकी पंचायतें समय-समय पर पुरस्कृत भी हुई हैं।

महिला पंचायत प्रतिनिधियों ने विकास के विभिन्न आयाम विकसित किये हैं। प्रदेश की इन अग्रणी महिला प्रतिनिधियों की क्षमतावृद्धि कर उन्हें और अधिक सक्रिय और उनके कार्य को व्यापक बनाया जा सकता है। इसी उद्देश्य से देश भर से चुनी हुई महिला प्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण का कार्यक्रम 27 नवम्बर 2017 को आयोजित किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार, श्रीमती मेनका गाँधी द्वारा किया। मध्यप्रदेश से भी इस कार्यक्रम में प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। मध्यप्रदेश के इन प्रतिनिधियों द्वारा किये गये कार्य और विशेष प्रयासों को श्रीमती मेनका गाँधी तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सराहना प्राप्त हुई।

कार्यक्रम में पात्र हितग्राहियों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे इस पर सघन विचार-विमर्श हुआ। पंचायत प्रतिनिधियों तथा अन्य जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले प्रतिनिधियों के साथ कार्य में आने वाली कठिनाइयों पर चर्चा की गयी और उसके समाधान तलाशने का प्रयास किया गया।

कुपोषण रोकने के लिए आधारभूत उपाय तलाशे गये। प्रतिनिधियों को उचित तालमेल और समन्वय के साथ बेहतर कार्य करने का मार्गदर्शन दिया गया।

# स्वच्छ भारत मिशन
# खुले में शौच मुक्त जनपद पंचायत होशंगाबाद

जिला पंचायत होशंगाबाद की समस्त जनपद के साथ ही जनपद पंचायत होशंगाबाद को दो अक्टूबर 2017 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 100 प्रतिशत खुले में शौच मुक्त होने की घोषणा की गई। जनपद पंचायत होशंगाबाद में 49 पंचायतें हैं और 93 गांव हैं। जनपद पंचायत के सभी ग्रामों को खुले में शौच मुक्त करने के लिये कई प्रकार की गतिविधियां की गई और रणनीति बनाकर कार्य किया गया।

**घर-घर सर्वे** - ग्राम पंचायत में सर्वप्रथम सरपंच सचिव ग्राम रोजगार सहायक की मदद से घर-घर सर्वे किया गया सर्वे में ऐसे मकान जिसमें शौचालय नहीं हैं को चयनित किया गया ग्राम पंचायत के समस्त गांवों में 2200 ऐसे परिवार सामने आये जिनकी पात्रता सूची में नाम हैं और उन्हें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत लाभान्वित किया जा सकता है तथा 780 ऐसे परिवार सामने आये जिन्हें मनरेगा, ग्राम पंचायत, जन सहयोग और प्रेरित कर स्वयं के द्वारा निर्माण कार्य किया जा सकता है।

**नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये**

प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक जिला स्तरीय नोडल अधिकारी की नियुक्ति जिला कलेक्टर के द्वारा की गई। ये अधिकारी जिले में चल रही योजनाओं के प्रभारी अधिकारी थे। नोडल अधिकारियों के द्वारा ग्राम पंचायतों में भ्रमण कर योजना बनाई गई। बैठक में समीक्षा की गई और समस्याओं का निदान किया गया।

**कर्मचारियों, अधिकारियों का सम्मेलन**

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत जनपद होशंगाबाद के सम्पूर्ण 49 पंचायतों को खुले में शौच मुक्त करने के लिये जनपद स्तर पर अधिकारियों, कर्मचारियों और गैर सरकारी संगठनों का सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें कि जनपद स्तर के अधिकारी, नोडल अधिकारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता प्रेरक आदि शामिल हुए। इन सभी को स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत समझाईश दी गई और रणनीति बनाई गई।

**ग्राम चौपाल का आयोजन**

स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्राम पंचायत में रात्री चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में जनपद पंचायत होशंगाबाद के अधिकारियों, कर्मचारियों सहित जन प्रतिनिधि और समाजसेवियों की उपस्थिति रही। चौपाल लगाकर ग्रामीणों के साथ चर्चा की गई। सभी ग्रामों में चौपाल में 200 से 250 लोगों की भागीदारी रही और महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों की तुलना में अधिक रहा। चौपाल में ग्रामीण महिलाओं द्वारा पहले तो पंचायत के प्रति रोष जाहिर किया गया और शौचालय निर्माण शासन द्वारा किया जाये, यह अपेक्षा की गयी, परन्तु जब खुले में शौच जाने से होने वाले नुकसान पर चर्चा हुई और यह बताया कि आप ही अपनी प्रगति के लिये जिम्मेदार हैं क्योंकि खुले में शौच जाने से आपको नुकसान है। लोगों को बातें समझ में आईं और निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत पात्र व्यक्ति को शौचायल निर्माण कराने के उपरांत 02 किस्तों में 12000 रुपये की राशि देने का प्रावधान है यदि हितग्राही शौचालय का निर्माण कार्य शुरू कर लेता है तो उसे एकमुश्त 12000 रुपये की राशि भी प्रदान की जा

सकती है। ग्रामीणों को बताया गया कि वे निर्माण कार्य पूर्ण करें राशि उनके खाते में प्रदान की जायेगी। इस प्रकार लोगों ने निर्माण कार्य तेज गति से प्रारंभ कर दिये।

**सम्मेलन का आयोजन**

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत जनपद स्तर पर खुले में शौच मुक्त करने के लिए सरपंच, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा आशा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें कि ग्राम पंचायतों को खुले में शौच मुक्त करने के लिए रणनीति बनाई गई एवं सभी को सपथ दिलाई गई।

**समुदाय आधारित सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम (सी.एल.टी.एस.)**

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत ग्राम पंचायत के समस्त ग्रामों में समुदाय आधारित सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम (सी.एल.टी.एस.) किया गया। ग्राम पंचायत में प्रेरकों द्वारा गतिविधियां की गईं जिसमें कि लोगों को शर्मसार किया गया। समुदाय आधारित सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम एक ऐसी गतिविधि है जिसमें कि लोगों को इकट्ठा कर उन्हें इस प्रकार शर्मसार किया जाता है और उन्हें यह अहसास दिलाया जाता है कि आप जो मल बाहर त्यागकर आते हैं उस मल को हम स्वयं खा रहे हैं। इस प्रकार लोगों में जागरुकता आई और इसी समय एक निगरानी समिति का गठन किया गया।

## ग्वालियर में बने बॉयो टॉयलेट देश में हुए लोकप्रिय

ग्वालियर जिले में ईज़ाद हुए बॉयो-टॉयलेट अब पूरे देश में लोकप्रिय हो गये हैं। शौचालय के इस मॉडल को अपनाने की देश के शहरों में होड़ मची है। देश-विदेश के नगरीय निकायों के प्रतिनिधिमंडल इस मॉडल को देखने ग्वालियर आ रहे हैं। कम खर्चे में तैयार ये बॉयो-टॉयलेट देखकर सभी दंग रह जाते हैं। अभी पिछले दिनों देश के 50 नगरों से आए दल के सदस्य भी इन बॉयो-टॉयलेट को देखकर अचंभित रह गए। उनके आश्चर्यचकित होने की वजह यह थी कि बॉयो-टॉयलेट के जरिए न केवल कम खर्चे में और वैज्ञानिक तरीके से ह्यूमन वेस्ट का निष्पादन हो रहा है, बल्कि पानी की भी बचत हो रही है। ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त) बनने में देशभर में अव्वल शहर ग्वालियर की एक्सपोजर विजिट पर ये दल आए थे।

स्वच्छ भारत अभियान के अहम हिस्से के रूप में ग्वालियर जिले में बॉयो-टॉयलेट का नवाचार हुआ है। जिला पंचायत ग्वालियर में पदस्थ परियोजना अधिकारी श्री जय सिंह नरवरिया ने बॉयो-टॉयलेट की इस तकनीक को खोजा है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गोद लिए गए गाँव जयापुर में भी ग्वालियर के बॉयो-टॉयलेट मॉडल को अपनाया गया है। इसी तरह, ग्वालियर जिले में केन्द्रीय मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा गोद लिए गए गाँव चीनौर में भी इसी पद्धति से बॉयो-टॉयलेट बनवाए गए हैं। ग्वालियर के बॉयो-टॉयलेट मॉडल को देखने के लिये जापान के प्रतिनिधि भी आ चुके हैं। इनके अलावा, भारत सरकार के प्रतिनिधिगण सहित देश के विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि न केवल इस मॉडल को देखने आ चुके हैं, बल्कि अपने राज्यों में भी बॉयो-टॉयलेट की इस तकनीक को अपनाया है।

देशभर के 50 शहरों से आए दलों ने ग्वालियर की एक्सपोजर विजिट के दौरान यहाँ फूलबाग मैदान और ग्वालियर किले पर बने सार्वजनिक बॉयो-टॉयलेट के अलावा दीनदयाल मॉल के सामने स्थित सुलभ शौचालय और राम मंदिर क्षेत्र में स्थित कम्युनिटी टॉयलेट का अवलोकन किया। ये दल मध्यप्रदेश के ग्वालियर शहर को ओडीएफ बनाने के लिये अमल में लाई गई सुनियोजित कार्य-योजना से खासे प्रभावित दिखे। नवी मुम्बई महानगरपालिका से आए सेनेटरी ऑफीसर श्री दिनेश एवं नई दिल्ली की महानगरपालिका के अधिकारी श्री इकबाल सिंह का कहना था कि सार्वजनिक शौचालय में बदबू नहीं होना सबसे बड़ी खासियत है। एक्पोजर विजिट पर आए दलों में गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, कर्नाटक, केरला, आंध्रप्रदेश व तेलंगाना सहित अन्य राज्यों के शहरों के दल शामिल हैं।

**कम खर्चे में बन जाता है बॉयो-टॉयलेट**

बॉयो-टॉयलेट बनाने में उतना ही खर्चा आता है जितना खर्च साधारण शौचालय के निर्माण में आता है। व्यक्तिगत शौचालय 15 हजार रुपए में और 10 सीट का सार्वजनिक शौचालय लगभग 50 हजार रुपए में तैयार हो जाता है। इस तकनीक से ग्वालियर जिले के ग्राम उदयपुर, टेकनपुर, सौजना, चराईडांग, सुरेहला व चीनौर सहित विभिन्न ग्रामों में 300 बॉयो-टॉयलेट बनाए जा चुके हैं, जो सफलतापूर्वक उपयोग हो रहे हैं। इसी तरह ग्वालियर शहर में किला, फूलबाग, वोट क्लब व रेलवे स्टेशन (प्लेटफॉर्म नं.-4 के समीप) सहित लगभग दो दर्जन स्थानों पर बॉयो-टॉयलेट बनाए गए हैं। देश के कई राज्यों ने ग्वालियर के बॉयो-टॉयलेट मॉडल को अपनाया है।

**निगरानी समिति द्वारा मार्निंग फालोअप**

ग्राम पंचायत के सभी ग्रामों में निगरानी समितियों के द्वारा सुबह मार्निंग फालोअप के द्वारा गांव में जो लोग खुले में शौच करने जाते थे उन लोगों को खुले में शौच जाने से रोका जाने लगा और सुबह-सुबह मार्निंग फालोअप का कार्य शुरू किया गया। पंचायत को माईक दिया गया जिसके द्वारा खुले में शौच जाने वालों के नाम पुकारकर शर्मशार किया गया।

**वानर सेना का गठन**

समस्त गावों में वानर सेना का गठन किया गया जिसमें कि बच्चों को सीटी दी गई। निगरानी समिति के साथ सीटी और माईक पर लोगों को खुले में शौच करने से रोका गया। लोगों को समय सीमा दी गई कि आप एक सप्ताह में शौचालय बनवायें और जब तक शौचालय नहीं बन पा रहा है तब तक मल पर मिट्टी अथवा राख को डालकर आयें। इस प्रकार लोगों में जागरुकता लाई गई ग्रामों में प्रेरक, वानर सेना, निगरानी समिति, सरपंच, सचिव, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आदि ने सुबह

# वंदना बाई का घर का सपना हुआ पूरा

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हरेक का अपना घर बनाने का सपना पूरा कर रही है। घर का सपना पूरा होना एक ऐसा अहसास है जो हमें संतोष देता है, स्थायित्व देता है। एक समय में विषम परिस्थितियों में निर्धन अवस्था में जीने वालों के लिए अपना घर कल्पना से परे थे। लेकिन अब देश और प्रदेश विकास पथ पर है। हरेक का यह सपना सरकार पूरा कर रही है। अपना घर बनने की कई कहानियाँ हैं। इसी में से एक है वंदना बाई की। वंदना बाई आदिवासी के घर का सपना तो पूर्ण हुआ ही। साथ में इस घर का गृह प्रवेश प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने करवाया। वंदना बाई के लिए वह अनूठा पल, अद्‌भुत था। श्रीमती वंदना बाई जिला श्योपुर से 45 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत हासिलपुर के पदमपुरा गाँव की निवासी हैं। विषम परिस्थिति में गुजर-बसर करने वाली वंदना बाई के पति पाँच वर्ष पूर्व उन्हें छोड़कर चले गये। पति के चले जाने के बाद वह अपने भाई के साथ रहने लगीं। वह मनरेगा में प्राप्त मजदूरी से अपना भरण-पोषण कर रही थीं। श्रीमती वंदना बाई ने बताया कि मेरे पास कच्चा टूटा-फूटा मकान था जिसमें पॉलीथिन डालकर रहती थी। बरसात में पानी टपकता था। रात हमें जागकर काटना पड़ती थी। जब ग्रामसभा में मुझे बताया गया कि तुम्हारा नाम प्रधानमंत्री आवास में आ गया है। यह सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। हमने अपना आवास पूर्ण कर लिया। मुझे मनरेगा से मजदूरी मिली, प्रधानमंत्री आवास योजना से आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय बनवाया गया। मुझे बताया गया कि हमारे मकान का गृह प्रवेश मुख्यमंत्री जी करेंगे। एक तो हमारे मकान का सपना पूरा हुआ दूसरा हमारे मुख्यमंत्री हमारे घर आए, हमारा सपना पूरा होने की खुशी को बाँटने। वह पल मैं जिंदा रहने तक कभी नहीं भूल सकती, जब मुख्यमंत्री जी ने हमारे आवास का फीता काटकर गृहप्रवेश कराया।

● **प्रस्तुति : रीमा राय**
(लेखिका स्तंभकार हैं)

सुबह फालोअप किया जिससे ग्राम को खुले में शौच मुक्त किये जाने में सहयोग रहा।

**रोको-टोको अभियान**

समस्त स्कूलों में बच्चों के साथ चर्चा की गई एवं सभी से रोको-टोको अभियान चलाने के लिए कहा गया। जो भी व्यक्ति खुले में शौच करता है उसे टोकने को कहा गया। सभी बच्चों से कहा कि जिनके घर में शौचायल नहीं हैं वे अपने पापा से शौचालय निर्माण करने को कहें। बच्चों से कहा गया कि आपके पापा आपको बहुत चाहते हैं। यदि आप शौचायल की मांग करेंगे तो वे अवश्य की बनवायेंगे। सभी स्कूलों में बच्चों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई एवं स्वच्छ भारत मिशन में सहयोग करने की अपेक्षा की गयी। ग्राम पंचायत के समस्त स्कूलों में शिक्षक शिक्षिकाओं ने पूर्ण सहयोग किया।

**ग्राम सभा का आयोजन**

दिनांक 26 एवं 27 नवंबर 2017 को ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत को 10 दिसंबर 2017 को खुले में शौच मुक्त करने का निर्णय लिया गया और प्रस्ताव पारित किया गया कि 10 दिसंबर के बाद यदि कोई व्यक्ति खुले में शौच करने जाता है तो उस पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी। ग्राम पंचायत के सभी ग्रामों में फ्लेक्स लगाये गये जिसमें दण्डात्मक धाराओं (269, 270, 277, 278 एवं 336) का हवाला देते हुए कानूनी कार्यवाही का संदेश दिया गया।

**चेतावनी रैली का आयोजन**

तीनों ग्रामों में स्कूली बच्चों के माध्यम से चेतावनी रैली निकाली गई जिसमें लोगों को चेतावनी दी गई की यदि 10 दिसंबर 17 के पश्चात कोई खुले में शौच करते पाया गया तो उस पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी। चेतावनी रैली में बच्चों को स्वच्छता के नारे के साथ ही आगे चेतावनी रैली का फ्लेक्स लगाया गया जिसमें कि धाराओं का प्रदर्शित किया गया।

**मशाल रैली का आयोजन**

समस्त ग्राम पंचायतों में रात्री में मशाल रैली का आयोजन किया गया। रैली में स्वच्छता के नारों के साथ मशाल रैली

निकाली गई जिसमें ग्रामीणों को स्वच्छता का संदेश दिया गया और खुले में शौच जाने वाले व्यक्तियों को चेतावनी दी गई। मशाल रैली से एक अच्छा माहौल बनाया गया।

**खुले में शौच मुक्त का निरीक्षण**

ग्राम पंचायत में प्रेरक, सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा खुले में शौच मुक्त का सत्यापन किया गया जिसमें कि पूर्व में खुले में शौच जाने वाले स्थानों का निरीक्षण और घर-घर सर्वे कर प्रत्येक घर में शौचालय का निरीक्षण कर सत्यापन किया गया। इसी प्रकार जनपद पंचायत स्तर से दल बनाकर सम्पूर्ण ग्रामों में निरीक्षण किया गया। इसी प्रकार जिला पंचायत होशंगाबाद से दल बनाकर खुले में शौच मुक्त होने का निरीक्षण किया गया एवं जिला स्तर से ओडीएफ घोषित किया गया।

**गौरव यात्रा का आयोजन**

10 दिसंबर 2016 को समस्त ग्राम पंचायतों में गौरव यात्रा निकाली गई जिसमें, ग्रामवासी, स्कूल के छात्र-छात्रायें और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। ढोल के साथ पूरे गांव में गौरव यात्रा निकालकर यह संदेश दिया कि हमारी ग्राम पंचायत खुले में शौच मुक्त की जा चुकी है। जनपद पंचायत होशंगाबाद को एक बर्ष खुले में शौच मुक्त होने के बाद अभी भी पंचायतों में मार्निंग फालोअप किया जा रहा है एवं जन जागृति के माध्यम से आज भी रणनीति बनाकर खुले में शौच मुक्ति की निरंतरता बनाये रखने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं।

● **राजकुमार गौर**
(ब्लॉक समन्वयक, स्वच्छ भारत मिशन
जनपद पंचायत होशंगाबाद)

# आनंद उत्सव 2018 के आयोजन संबंधित निर्देश

**पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश**
**हिन्दुस्तान पेट्रोल पंप के पास, भविष्य निधि कार्यालय के समीप**
**(E-mail : dirpanchayat@mp.gov.in)**

**क्रमांक 14726/पं.रा./सम./2017** **भोपाल, दिनांक 01.12.2017**

**प्रति,**

1. **कलेक्टर,**
   **जिला-समस्त म.प्र.।**
2. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी,**
   **जिला पंचायत - (समस्त) म.प्र।**

**विषय :- 14 से 21 जनवरी 2018 के बीच "आनंद उत्सव 2018" के आयोजन के संबंध में**

**संदर्भ :- म.प्र. शासन आनंद विभाग मंत्रालय के पत्र क्र. 248/आ.वि./आ.उत्सव/2017 दिनांक 20.11.2017 एवं म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण वि.वि. का पत्र क्र. 14717 दि. 01.12.2017।**

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसमें आनंद विभाग म.प्र. शासन द्वारा निम्नलिखित स्थलों पर "आनंद उत्सव-2018" आयोजित करने के निर्देश दिये हैं। कृपया "आनंद उत्सव-2018" के आयोजन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें-

(क) दिनांक 14 जनवरी से 21 जनवरी 2018 के बीच प्रत्येक विकासखंड की समस्त ग्राम पंचायतों को संदर्भित पत्र के साथ संलग्न सूची में दी गई अधिकतम समूह संख्या अनुसार 2 से 4 पंचायतों के समूह में विभक्त कर ग्राम पंचायतों की आपसी सहमति से चयनित स्थल पर जो कि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के साथ विचार कर चयनित किया जायेगा, उत्सव का आयोजन करें। परन्तु ऐसी पचायतें जिनकी आबादी 5000 से अधिक है, वे स्वतंत्र रूप से भी "आनंद उत्सव" का आयोजन कर सकती हैं।

(ख) विकासखंड मुख्यालय स्तर पर 22 से 24 जनवरी 2018 के मध्य "आनंद उत्सव" मनाया जायेगा।

2. सचालनालय पंचायत राज द्वारा "आनंद उत्सव" के आयोजन हेतु परिशिष्ट-01 अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित कार्यक्रम हेतु रुपये 15000/- की राशि जनपंद पंचायत के माध्यम से तथा विकासखंड स्तर पर आयोजित कार्यक्रम हेतु रुपये 50000/- की राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

3.1 जिला कलेक्टर विकासखंड में कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिये संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को नियुक्त करेंगे।

3.2 अनुविभागीय अधिकारी समस्त कार्यक्रम प्रभारी अधिकारियों को कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में संक्षिप्त प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन देंगे।

4.1 प्रत्येक चयनित स्थल पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एक उपयुक्त अधिकारी को भी समन्वयक नियुक्त किया जाये, यह अधिकारी किसी भी विभाग का हो सकता है।

4.2 कलेक्टर, विकासखंड स्तर पर आयोजित किये जाने वाले "आनंद उत्सव" की रूपरेखा निर्धारित करने तथा पंचायत समूह के कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण के लिये अनुविभागीय अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठन करेंगे।

5. बिन्दु-(क) अनुसार चयनित ग्राम पंचायत के कार्यक्रम स्थल की जानकारी mpprd.cmhaat@mp.gov.in पर भेजें (अपर मुख्य सचिव द्वारा अनुमोदित)।

**संलग्नः- उपरोक्तानुसार**

**(शमीम उद्दीन)**
**संचालक**
**पंचायत राज संचालनालय (म.प्र.)**

# आनंद उत्सव 2018 के आयोजन संबंधित निर्देश

**पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश**
**भविष्य निधि कार्यालय के समीप**
**अरेरा हिल्स (हिन्दुस्तान पेट्रोल पंप के पास), भोपाल**
**Telephon No. 0755-2557727, Fax No. 0755-2552899, E-mail : dirpanchayat@mp.gov.in**

**क्रमांक/पं.रा./पंचा- /2017/16083** **भोपाल, दिनांक 30.12.2017**

**प्रति,**

**मुख्य कार्यपालन अधिकारी,**
**जिला पंचायत-(समस्त),**
**मध्यप्रदेश**

**विषय :- 14 से 21 जनवरी 2018 को "आनंद उत्सव 2018" के आयोजन हेतु राशि उपलब्ध करवाने के संबंध में।**

**संदर्भ :- पंचायत राज संचालनालय मध्यप्रदेश का पत्र क्रमांक 14726 पं.रा./सम./2017 दिनांक 01.12.2017**

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। दिनांक 14 जनवरी से 21 जनवरी 2018 के बीच प्रत्येक विकासखण्ड की समस्त ग्राम पंचायतों में पूर्व निर्धारित 2 से 4 ग्राम पंचायतों के समूह पर तथा 22 से 24 जनवरी 2018 के मध्य विकासखण्ड मुख्यालय पर "आनंद उत्सव" मनाया जाना है।

2. संदर्भित पत्र द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित कार्यक्रम हेतु राशि रुपये 15,000/- तथा विकासखण्ड स्तर पर आयोजित कार्यक्रम हेतु राशि रुपये 50,000/- की स्वीकृति जारी की गयी है।
3. उक्त राशि जिला पंचायत निधि से कलस्टर अनुसार ग्राम पंचायतों को तथा समस्त विकासखण्डों को तत्काल उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
4. उक्त राशि जिला पंचायत स्तर से F.T.O. के माध्यम से संबंधित ग्राम पंचायतों तथा विकासखण्डों के खाते में उपलब्ध करावें।

(अपर मुख्य सचिव द्वारा अनुमोदित)।

**संलग्नः- उपरोक्तानुसार**

**(शमीम उद्दीन)**
**संचालक,**
**पंचायत राज संचालनालय (म.प्र.)**

## पंचायत राज संचालनालय म.प्र., भोपाल
## आनंद उत्सव - 2018 आयोजित करने हेतु समूह एवं विकासखंड अनुसार जनपद पंचायतों को जारी राशि का विवरण

(राशि रुपये में)

| स. क्र. | जिले का नाम | स.क्र. | जनपद पंचायत का नाम | ग्राम पंचायत की संख्या | अधिकतम समूह की संख्या | ग्राम पंचायत स्तरीय आयोजन हेतु राशि | विकासखंड स्तरीय आयोजन हेतु राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आगर मालवा | 1 | बरोद | 65 | 22 | 330000 | 50000 |
| | आगर मालवा | 2 | आगर | 59 | 20 | 300000 | 50000 |
| | आगर मालवा | 3 | सुसनेर | 55 | 18 | 270000 | 50000 |
| | आगर मालवा | 4 | नलखेड़ा | 48 | 16 | 240000 | 50000 |
| | | **योग** | | **227** | **76** | **1140000** | **200000** |
| 2 | अलीराजपुर | 5 | सोंडवा | 74 | 25 | 375000 | 50000 |
| | अलीराजपुर | 6 | अलीराजपुर | 53 | 18 | 270000 | 50000 |
| | अलीराजपुर | 7 | कट्ठीवाड़ा | 49 | 16 | 240000 | 50000 |
| | अलीराजपुर | 8 | उदयगढ़ | 40 | 13 | 195000 | 50000 |
| | अलीराजपुर | 9 | जोबट | 38 | 13 | 195000 | 50000 |
| | अलीराजपुर | 10 | भाभरा | 34 | 11 | 165000 | 50000 |
| | | **योग** | | **288** | **96** | **1440000** | **300000** |
| 3 | अनूपपुर | 11 | पुष्पराजगढ़ | 119 | 40 | 600000 | 50000 |
| | अनूपपुर | 12 | जैतहरी | 80 | 27 | 405000 | 50000 |
| | अनूपपुर | 13 | अनूपपुर | 52 | 17 | 255000 | 50000 |
| | अनूपपुर | 14 | कोतमा | 31 | 10 | 150000 | 50000 |
| | | **योग** | | **282** | **94** | **1410000** | **200000** |
| 4 | अशोकनगर | 15 | अशोकनगर | 104 | 35 | 525000 | 50000 |
| | अशोकनगर | 16 | मुंगावली | 91 | 30 | 450000 | 50000 |
| | अशोकनगर | 17 | ईसागढ़ | 83 | 28 | 420000 | 50000 |
| | अशोकनगर | 18 | चंदेरी | 56 | 19 | 285000 | 50000 |
| | | **योग** | | **334** | **112** | **1680000** | **200000** |
| 5 | बालाघाट | 19 | किरनापुर | 83 | 28 | 420000 | 50000 |
| | बालाघाट | 20 | कटंगी | 81 | 27 | 405000 | 50000 |
| | बालाघाट | 21 | बालाघाट | 77 | 26 | 390000 | 50000 |
| | बालाघाट | 22 | लालबर्रा | 77 | 26 | 390000 | 50000 |
| | बालाघाट | 23 | लांजी | 77 | 26 | 390000 | 50000 |
| | बालाघाट | 24 | खैरलांजी | 62 | 21 | 315000 | 50000 |
| | बालाघाट | 25 | बिरसा | 61 | 20 | 300000 | 50000 |
| | बालाघाट | 26 | वारासिवनी | 60 | 20 | 300000 | 50000 |
| | बालाघाट | 27 | परसवाड़ा | 57 | 19 | 285000 | 50000 |
| | बालाघाट | 28 | बैहर | 55 | 18 | 270000 | 50000 |
| | | **योग** | | **690** | **231** | **3465000** | **500000** |

| स. क्र. | जिले का नाम | स.क्र. | जनपद पंचायत का नाम | ग्राम पंचायत की संख्या | अधिकतम समूह की संख्या | ग्राम पंचायत स्तरीय आयोजन हेतु राशि | विकासखंड स्तरीय आयोजन हेतु राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | बड़वानी | 29 | सेंधवा | 114 | 38 | 570000 | 50000 |
| | बड़वानी | 30 | राजपुर | 66 | 22 | 330000 | 50000 |
| | बड़वानी | 31 | ठीकरी | 58 | 19 | 285000 | 50000 |
| | बड़वानी | 32 | बड़वानी | 52 | 17 | 255000 | 50000 |
| | बड़वानी | 33 | पाटी | 45 | 15 | 225000 | 50000 |
| | बड़वानी | 34 | निवाली | 42 | 14 | 210000 | 50000 |
| | बड़वानी | 35 | पानसेमल | 39 | 13 | 195000 | 50000 |
| | | **योग** | | **416** | **138** | **2070000** | **350000** |
| 7 | बैतूल | 36 | बैतूल | 77 | 26 | 390000 | 50000 |
| | बैतूल | 37 | मुलताई | 69 | 23 | 345000 | 50000 |
| | बैतूल | 38 | आमला | 68 | 23 | 345000 | 50000 |
| | बैतूल | 39 | प्रभातपट्टन | 65 | 22 | 330000 | 50000 |
| | बैतूल | 40 | घोड़ाडोंगरी | 56 | 19 | 285000 | 50000 |
| | बैतूल | 41 | भीमपुर | 54 | 18 | 270000 | 50000 |
| | बैतूल | 42 | भैंसदेही | 50 | 17 | 255000 | 50000 |
| | बैतूल | 43 | आठनेर | 44 | 15 | 225000 | 50000 |
| | बैतूल | 44 | शाहपुर | 40 | 13 | 195000 | 50000 |
| | बैतूल | 45 | चिचोली | 33 | 11 | 165000 | 50000 |
| | | **योग** | | **556** | **187** | **2805000** | **500000** |
| 8 | भिण्ड | 46 | मेहगांव | 104 | 35 | 525000 | 50000 |
| | भिण्ड | 47 | गोहद | 88 | 29 | 435000 | 50000 |
| | भिण्ड | 48 | अटेर | 87 | 29 | 435000 | 50000 |
| | भिण्ड | 49 | लहार | 65 | 22 | 330000 | 50000 |
| | भिण्ड | 50 | भिण्ड | 62 | 21 | 315000 | 50000 |
| | भिण्ड | 51 | रौन | 41 | 14 | 210000 | 50000 |
| | | **योग** | | **447** | **150** | **2250000** | **300000** |
| 9 | भोपाल | 52 | बैरसिया | 110 | 37 | 555000 | 50000 |
| | भोपाल | 53 | फंदा | 77 | 26 | 390000 | 50000 |
| | | **योग** | | **187** | **63** | **945000** | **100000** |
| 10 | बुरहानपुर | 54 | खकनार | 90 | 30 | 450000 | 50000 |
| | बुरहानपुर | 55 | बुरहानपुर | 77 | 26 | 390000 | 50000 |
| | | **योग** | | **167** | **56** | **840000** | **100000** |

| स. क्र. | जिले का नाम | स.क्र. | जनपद पंचायत का नाम | ग्राम पंचायत की संख्या | अधिकतम समूह की संख्या | ग्राम पंचायत स्तरीय आयोजन हेतु राशि | विकासखंड स्तरीय आयोजन हेतु राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | देवास | 86 | देवास | 96 | 32 | 480000 | 50000 |
| | देवास | 87 | कन्नौद | 85 | 28 | 420000 | 50000 |
| | देवास | 88 | खातेगाँव | 72 | 24 | 360000 | 50000 |
| | देवास | 89 | सोनकच्छ | 66 | 22 | 330000 | 50000 |
| | देवास | 90 | टोंकखुर्द | 59 | 20 | 300000 | 50000 |
| | | **योग** | | **495** | **165** | **2475000** | **300000** |
| 16 | धार | 91 | सरदारपुर | 95 | 32 | 480000 | 50000 |
| | धार | 92 | बदनावर | 89 | 30 | 450000 | 50000 |
| | धार | 93 | नालछा | 67 | 22 | 330000 | 50000 |
| | धार | 94 | गंधवानी | 66 | 22 | 330000 | 50000 |
| | धार | 95 | मनावर | 64 | 21 | 315000 | 50000 |
| | धार | 96 | उमरबन | 61 | 20 | 300000 | 50000 |
| | धार | 97 | धार | 52 | 17 | 255000 | 50000 |
| | धार | 98 | तिरला | 52 | 17 | 255000 | 50000 |
| | धार | 99 | धरमपुरी | 51 | 17 | 255000 | 50000 |
| | धार | 100 | बाग | 48 | 16 | 240000 | 50000 |
| | धार | 101 | डही | 45 | 15 | 225000 | 50000 |
| | धार | 102 | कुक्षी | 37 | 12 | 180000 | 50000 |
| | धार | 103 | निसरपुर | 34 | 11 | 165000 | 50000 |
| | | **योग** | | **761** | **252** | **3780000** | **650000** |
| 17 | डिण्डोरी | 104 | डिण्डोरी | 70 | 23 | 345000 | 50000 |
| | डिण्डोरी | 105 | शाहपुर | 69 | 23 | 345000 | 50000 |
| | डिण्डोरी | 106 | समनापुर | 48 | 16 | 240000 | 50000 |
| | डिण्डोरी | 107 | बजाग | 46 | 15 | 225000 | 50000 |
| | डिण्डोरी | 108 | मेहदवानी | 46 | 15 | 225000 | 50000 |
| | डिण्डोरी | 109 | अमरपुर | 43 | 14 | 210000 | 50000 |
| | डिण्डोरी | 110 | करंजिया | 42 | 14 | 210000 | 50000 |
| | | **योग** | | **364** | **120** | **1800000** | **350000** |
| 18 | गुना | 111 | चांचौड़ा | 106 | 35 | 525000 | 50000 |
| | गुना | 112 | राघौगढ़ | 99 | 33 | 495000 | 50000 |
| | गुना | 113 | गुना | 83 | 28 | 420000 | 50000 |
| | गुना | 114 | बमौरी | 80 | 27 | 405000 | 50000 |
| | गुना | 115 | आरोन | 57 | 19 | 285000 | 50000 |
| | | **योग** | | **425** | **142** | **2130000** | **250000** |

| स. क्र. | जिले का नाम | स.क्र. | जनपद पंचायत का नाम | ग्राम पंचायत की संख्या | अधिकतम समूह की संख्या | ग्राम पंचायत स्तरीय आयोजन हेतु राशि | विकासखंड स्तरीय आयोजन हेतु राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | छतरपुर | 56 | राजनगर | 86 | 29 | 435000 | 50000 |
| | छतरपुर | 57 | छतरपुर | 81 | 27 | 405000 | 50000 |
| | छतरपुर | 58 | बड़ा मलहरा | 79 | 26 | 390000 | 50000 |
| | छतरपुर | 59 | नौगाँव | 75 | 25 | 375000 | 50000 |
| | छतरपुर | 60 | बारीगढ़ | 73 | 24 | 360000 | 50000 |
| | छतरपुर | 61 | लौड़ी | 65 | 22 | 330000 | 50000 |
| | छतरपुर | 62 | बिजावर | 60 | 20 | 300000 | 50000 |
| | छतरपुर | 63 | बक्स्वाहा | 39 | 13 | 195000 | 50000 |
| | | **योग** | | **558** | **186** | **2790000** | **400000** |
| 12 | छिंदवाड़ा | 64 | जामई | 95 | 32 | 480000 | 50000 |
| | छिंदवाड़ा | 65 | परासिया | 91 | 30 | 450000 | 50000 |
| | छिंदवाड़ा | 66 | चौरई | 89 | 30 | 450000 | 50000 |
| | छिंदवाड़ा | 67 | मोहखेड़ | 79 | 26 | 390000 | 50000 |
| | छिंदवाड़ा | 68 | पांडुर्ना | 72 | 24 | 360000 | 50000 |
| | छिंदवाड़ा | 69 | अमरवाड़ा | 71 | 24 | 360000 | 50000 |
| | छिंदवाड़ा | 70 | हर्रई | 67 | 22 | 330000 | 50000 |
| | छिंदवाड़ा | 71 | सौंसर | 59 | 20 | 300000 | 50000 |
| | छिंदवाड़ा | 72 | छिंदवाड़ा | 58 | 19 | 285000 | 50000 |
| | छिंदवाड़ा | 73 | तामिया | 53 | 18 | 270000 | 50000 |
| | छिंदवाड़ा | 74 | बिछुआ | 50 | 17 | 255000 | 50000 |
| | | **योग** | | **784** | **262** | **3930000** | **550000** |
| 13 | दमोह | 75 | दमोह | 89 | 30 | 450000 | 50000 |
| | दमोह | 76 | जवेरा | 70 | 23 | 345000 | 50000 |
| | दमोह | 77 | तेंदूखेड़ा | 63 | 21 | 315000 | 50000 |
| | दमोह | 78 | पथरिया | 62 | 21 | 315000 | 50000 |
| | दमोह | 79 | पटेरा | 60 | 20 | 300000 | 50000 |
| | दमोह | 80 | बटियागढ़ | 59 | 20 | 300000 | 50000 |
| | दमोह | 81 | हटा | 57 | 19 | 285000 | 50000 |
| | | **योग** | | **460** | **154** | **2310000** | **350000** |
| 14 | दतिया | 82 | दतिया | 131 | 44 | 660000 | 50000 |
| | दतिया | 83 | सेंवढ़ा | 91 | 30 | 450000 | 50000 |
| | दतिया | 84 | भाण्डेर | 68 | 23 | 345000 | 50000 |
| | | **योग** | | **290** | **97** | **1455000** | **150000** |
| 15 | देवास | 85 | बागली | 117 | 39 | 585000 | 50000 |

| स. क्र. | जिले का नाम | स.क्र. | जनपद पंचायत का नाम | ग्राम पंचायत की संख्या | अधिकतम समूह की संख्या | ग्राम पंचायत स्तरीय आयोजन हेतु राशि | विकासखंड स्तरीय आयोजन हेतु राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ग्वालियर | 116 | भितरवार | 82 | 27 | 405000 | 50000 |
| | ग्वालियर | 117 | डबरा | 68 | 23 | 345000 | 50000 |
| | ग्वालियर | 118 | मुरार | 60 | 20 | 300000 | 50000 |
| | ग्वालियर | 119 | घाटीगाँव | 46 | 15 | 225000 | 50000 |
| | | **योग** | | **256** | **85** | **1275000** | **200000** |
| 20 | हरदा | 120 | हरदा | 73 | 24 | 360000 | 50000 |
| | हरदा | 121 | टिमरनी | 73 | 24 | 360000 | 50000 |
| | हरदा | 122 | खिरकिया | 67 | 22 | 330000 | 50000 |
| | | **योग** | | **213** | **70** | **1050000** | **150000** |
| 21 | होशंगाबाद | 123 | सिवनी मालवा | 95 | 32 | 480000 | 50000 |
| | होशंगाबाद | 124 | सोहागपुर | 65 | 22 | 330000 | 50000 |
| | होशंगाबाद | 125 | बाबई | 61 | 20 | 300000 | 50000 |
| | होशंगाबाद | 126 | बनखेड़ी | 53 | 18 | 270000 | 50000 |
| | होशंगाबाद | 127 | पिपरिया | 53 | 18 | 270000 | 50000 |
| | होशंगाबाद | 128 | होशंगाबाद | 49 | 16 | 240000 | 50000 |
| | होशंगाबाद | 129 | केसला | 49 | 16 | 240000 | 50000 |
| | | **योग** | | **425** | **142** | **2130000** | **350000** |
| 22 | इंदौर | 130 | देपालपुर | 100 | 33 | 495000 | 50000 |
| | इंदौर | 131 | सांवेर | 75 | 25 | 375000 | 50000 |
| | इंदौर | 132 | महू | 73 | 24 | 360000 | 50000 |
| | इंदौर | 133 | इंदौर | 64 | 21 | 315000 | 50000 |
| | | **योग** | | **312** | **103** | **1545000** | **200000** |
| 23 | जबलपुर | 134 | मझौली | 84 | 28 | 420000 | 50000 |
| | जबलपुर | 135 | शाहपुरा | 84 | 28 | 420000 | 50000 |
| | जबलपुर | 136 | जबलपुर | 80 | 27 | 405000 | 50000 |
| | जबलपुर | 137 | पाटन | 78 | 26 | 390000 | 50000 |
| | जबलपुर | 138 | कुंडम | 68 | 23 | 345000 | 50000 |
| | जबलपुर | 139 | पनागर | 62 | 21 | 315000 | 50000 |
| | जबलपुर | 140 | सिहोरा | 60 | 20 | 300000 | 50000 |
| | | **योग** | | **516** | **173** | **2595000** | **350000** |
| 24 | झाबुआ | 141 | पेटलावद | 77 | 26 | 390000 | 50000 |
| | झाबुआ | 142 | झाबुआ | 68 | 23 | 345000 | 50000 |
| | झाबुआ | 143 | थांदला | 67 | 22 | 330000 | 50000 |
| | झाबुआ | 144 | मेघनगर | 61 | 20 | 300000 | 50000 |

| स. क्र. | जिले का नाम | स.क्र. | जनपद पंचायत का नाम | ग्राम पंचायत की संख्या | अधिकतम समूह की संख्या | ग्राम पंचायत स्तरीय आयोजन हेतु राशि | विकासखंड स्तरीय आयोजन हेतु राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | झाबुआ | 145 | रामा | 55 | 18 | 270000 | 50000 |
| | झाबुआ | 146 | रानापुर | 47 | 16 | 240000 | 50000 |
| | **योग** | | | **375** | **125** | **1875000** | **300000** |
| 25 | कटनी | 147 | बहोरीबंद | 79 | 26 | 390000 | 50000 |
| | कटनी | 148 | विजयराघवगढ़ | 74 | 25 | 375000 | 50000 |
| | कटनी | 149 | ढीमरखेड़ा | 73 | 24 | 360000 | 50000 |
| | कटनी | 150 | बड़वारा | 66 | 22 | 330000 | 50000 |
| | कटनी | 151 | कटनी | 59 | 20 | 300000 | 50000 |
| | कटनी | 152 | रीठी | 56 | 19 | 285000 | 50000 |
| | **योग** | | | **407** | **136** | **2040000** | **300000** |
| 26 | खंडवा | 153 | खालवा | 86 | 29 | 435000 | 50000 |
| | खंडवा | 154 | पंधाना | 84 | 28 | 420000 | 50000 |
| | खंडवा | 155 | पुनासा | 72 | 24 | 360000 | 50000 |
| | खंडवा | 156 | खंडवा | 60 | 20 | 300000 | 50000 |
| | खंडवा | 157 | छैगाँवमाखन | 59 | 20 | 300000 | 50000 |
| | खंडवा | 158 | हरसूद | 40 | 13 | 195000 | 50000 |
| | खंडवा | 159 | बलाड़ी | 21 | 7 | 105000 | 50000 |
| | **योग** | | | **422** | **141** | **2115000** | **350000** |
| 27 | खरगोन | 160 | बड़वाह | 114 | 38 | 570000 | 50000 |
| | खरगोन | 161 | कसरावद | 83 | 28 | 420000 | 50000 |
| | खरगोन | 162 | झिरन्या | 76 | 25 | 375000 | 50000 |
| | खरगोन | 163 | महेश्वर | 69 | 23 | 345000 | 50000 |
| | खरगोन | 164 | भीकनगाँव | 65 | 22 | 330000 | 50000 |
| | खरगोन | 165 | भगवानपुरा | 61 | 20 | 300000 | 50000 |
| | खरगोन | 166 | गोगाँव | 46 | 15 | 225000 | 50000 |
| | खरगोन | 167 | खरगोन | 43 | 14 | 210000 | 50000 |
| | खरगोन | 168 | सेगाँव | 37 | 12 | 180000 | 50000 |
| | **योग** | | | **594** | **197** | **2955000** | **450000** |
| 28 | मंडला | 169 | मंडला | 81 | 27 | 405000 | 50000 |
| | मंडला | 170 | नैनपुर | 74 | 25 | 375000 | 50000 |
| | मंडला | 171 | बिछुआ | 71 | 24 | 360000 | 50000 |
| | मंडला | 172 | मवई | 52 | 17 | 255000 | 50000 |
| | मंडला | 173 | नारायणगंज | 49 | 16 | 240000 | 50000 |
| | मंडला | 174 | घुघरी | 46 | 15 | 225000 | 50000 |

| स. क्र. | जिले का नाम | स.क्र. | जनपद पंचायत का नाम | ग्राम पंचायत की संख्या | अधिकतम समूह की संख्या | ग्राम पंचायत स्तरीय आयोजन हेतु राशि | विकासखंड स्तरीय आयोजन हेतु राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | मंडला | 175 | बीजाडांडी | 40 | 13 | 195000 | 50000 |
| | मंडला | 176 | मोहगांव | 38 | 13 | 195000 | 50000 |
| | मंडला | 177 | निवास | 35 | 12 | 180000 | 50000 |
| | | **योग** | | **486** | **162** | **2430000** | **450000** |
| 29 | मंदसौर | 178 | मंदसौर | 119 | 40 | 600000 | 50000 |
| | मंदसौर | 179 | सीतामऊ | 107 | 36 | 540000 | 50000 |
| | मंदसौर | 180 | गरोठ | 91 | 30 | 450000 | 50000 |
| | मंदसौर | 181 | मल्हारगढ़ | 78 | 26 | 390000 | 50000 |
| | मंदसौर | 182 | भानपुरा | 45 | 15 | 225000 | 50000 |
| | | **योग** | | **440** | **147** | **2205000** | **250000** |
| 30 | मुरैना | 183 | मुरैना | 106 | 35 | 525000 | 50000 |
| | मुरैना | 184 | जौरा | 70 | 23 | 345000 | 50000 |
| | मुरैना | 185 | कैलारस | 65 | 22 | 330000 | 50000 |
| | मुरैना | 186 | सबलगढ़ | 65 | 22 | 330000 | 50000 |
| | मुरैना | 187 | पिथौरागढ़ | 64 | 21 | 315000 | 50000 |
| | मुरैना | 188 | अंबाह | 55 | 18 | 270000 | 50000 |
| | मुरैना | 189 | पोरसा | 53 | 18 | 270000 | 50000 |
| | | **योग** | | **478** | **159** | **2385000** | **350000** |
| 31 | नरसिंहपुर | 190 | गोटेगाँव | 90 | 30 | 450000 | 50000 |
| | नरसिंहपुर | 191 | नरसिंहपुर | 86 | 29 | 435000 | 50000 |
| | नरसिंहपुर | 192 | चांवरपाठा | 83 | 28 | 420000 | 50000 |
| | नरसिंहपुर | 193 | बाबई चिचोली | 65 | 22 | 330000 | 50000 |
| | नरसिंहपुर | 194 | करेली | 64 | 21 | 315000 | 50000 |
| | नरसिंहपुर | 195 | सांईखेड़ा | 58 | 19 | 285000 | 50000 |
| | | **योग** | | **446** | **149** | **2235000** | **300000** |
| 32 | नीमच | 196 | मनासा | 97 | 32 | 480000 | 50000 |
| | नीमच | 197 | जावद | 73 | 24 | 360000 | 50000 |
| | नीमच | 198 | नीमच | 66 | 22 | 330000 | 50000 |
| | | **योग** | | **236** | **78** | **1170000** | **150000** |
| 33 | पन्ना | 199 | शाहनगर | 84 | 28 | 420000 | 50000 |
| | पन्ना | 200 | गुनौर | 83 | 28 | 420000 | 50000 |
| | पन्ना | 201 | पवई | 82 | 27 | 405000 | 50000 |
| | पन्ना | 202 | पन्ना | 81 | 27 | 405000 | 50000 |

| स. क्र. | जिले का नाम | स.क्र. | जनपद पंचायत का नाम | ग्राम पंचायत की संख्या | अधिकतम समूह की संख्या | ग्राम पंचायत स्तरीय आयोजन हेतु राशि | विकासखंड स्तरीय आयोजन हेतु राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | पन्ना | 203 | अजयगढ़ | 65 | 22 | 330000 | 50000 |
| | | **योग** | | **395** | **132** | **1980000** | **250000** |
| 34 | रायसेन | 204 | बाड़ी | 103 | 34 | 510000 | 50000 |
| | रायसेन | 205 | साँची | 77 | 26 | 390000 | 50000 |
| | रायसेन | 206 | उदयपुरा | 68 | 23 | 345000 | 50000 |
| | रायसेन | 207 | सिलवानी | 67 | 22 | 330000 | 50000 |
| | रायसेन | 208 | औबेदुल्लागंज | 65 | 22 | 330000 | 50000 |
| | रायसेन | 209 | बेगमगंज | 60 | 20 | 300000 | 50000 |
| | रायसेन | 210 | गैरतगंज | 51 | 17 | 255000 | 50000 |
| | | **योग** | | **491** | **164** | **2460000** | **350000** |
| 35 | राजगढ़ | 211 | नरसिंहगढ़ | 132 | 44 | 660000 | 50000 |
| | राजगढ़ | 212 | ब्यावरा | 109 | 36 | 540000 | 50000 |
| | राजगढ़ | 213 | राजगढ़ | 101 | 34 | 510000 | 50000 |
| | राजगढ़ | 214 | सारंगपुर | 98 | 33 | 495000 | 50000 |
| | राजगढ़ | 215 | खिलचीपुर | 95 | 32 | 480000 | 50000 |
| | राजगढ़ | 216 | जीरापुर | 87 | 29 | 435000 | 50000 |
| | | **योग** | | **622** | **208** | **3120000** | **300000** |
| 36 | रतलाम | 217 | रतलाम | 96 | 32 | 480000 | 50000 |
| | रतलाम | 218 | आलोट | 90 | 30 | 450000 | 50000 |
| | रतलाम | 219 | जौरा | 68 | 23 | 345000 | 50000 |
| | रतलाम | 220 | बाजना | 65 | 22 | 330000 | 50000 |
| | रतलाम | 221 | पिपलौदा | 52 | 17 | 255000 | 50000 |
| | रतलाम | 222 | सैलाना | 47 | 16 | 240000 | 50000 |
| | | **योग** | | **418** | **140** | **2100000** | **300000** |
| 37 | रीवा | 223 | रायपुर कर्चुलियान | 104 | 35 | 525000 | 50000 |
| | रीवा | 224 | सिरमौर | 103 | 34 | 510000 | 50000 |
| | रीवा | 225 | हनुमना | 98 | 33 | 495000 | 50000 |
| | रीवा | 226 | त्यौंथर | 97 | 32 | 480000 | 50000 |
| | रीवा | 227 | रीवा | 92 | 31 | 465000 | 50000 |
| | रीवा | 228 | गंगेव | 88 | 29 | 435000 | 50000 |
| | रीवा | 229 | जवा | 87 | 29 | 435000 | 50000 |
| | रीवा | 230 | मऊगंज | 82 | 27 | 405000 | 50000 |
| | रीवा | 231 | नईगढ़ी | 76 | 25 | 375000 | 50000 |
| | | **योग** | | **827** | **275** | **4125000** | **450000** |

| स. क्र. | जिले का नाम | स.क्र. | जनपद पंचायत का नाम | ग्राम पंचायत की संख्या | अधिकतम समूह की संख्या | ग्राम पंचायत स्तरीय आयोजन हेतु राशि | विकासखंड स्तरीय आयोजन हेतु राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | सागर | 232 | रहली | 91 | 30 | 450000 | 50000 |
| | सागर | 233 | राहतगढ़ | 81 | 27 | 405000 | 50000 |
| | सागर | 234 | सागर | 81 | 27 | 405000 | 50000 |
| | सागर | 235 | बंडा | 78 | 26 | 390000 | 50000 |
| | सागर | 236 | देवरी | 70 | 23 | 345000 | 50000 |
| | सागर | 237 | बीना | 64 | 21 | 315000 | 50000 |
| | सागर | 238 | खुरई | 63 | 21 | 315000 | 50000 |
| | सागर | 239 | जैसीनगर | 62 | 21 | 315000 | 50000 |
| | सागर | 240 | मालथौन | 62 | 21 | 315000 | 50000 |
| | सागर | 241 | केसली | 56 | 19 | 285000 | 50000 |
| | सागर | 242 | शाहगढ़ | 47 | 16 | 240000 | 50000 |
| | | **योग** | | **755** | **252** | **3780000** | **550000** |
| 39 | सतना | 243 | मैहर | 115 | 38 | 570000 | 50000 |
| | सतना | 244 | रामपुर बघेलान | 97 | 32 | 480000 | 50000 |
| | सतना | 245 | मझगँवा | 96 | 32 | 480000 | 50000 |
| | सतना | 246 | नागौद | 93 | 31 | 465000 | 50000 |
| | सतना | 247 | सोहावल | 93 | 31 | 465000 | 50000 |
| | सतना | 248 | अमरपाटन | 74 | 25 | 375000 | 50000 |
| | सतना | 249 | उचेहरा | 70 | 23 | 345000 | 50000 |
| | सतना | 250 | रामनगर | 54 | 18 | 270000 | 50000 |
| | | **योग** | | **692** | **230** | **345000** | **400000** |
| 40 | सीहोर | 251 | सीहोर | 144 | 48 | 720000 | 50000 |
| | सीहोर | 252 | आष्टा | 134 | 45 | 675000 | 50000 |
| | सीहोर | 253 | नसरुल्लागंज | 87 | 29 | 435000 | 50000 |
| | सीहोर | 254 | इछावर | 70 | 23 | 345000 | 50000 |
| | सीहोर | 255 | बुदनी | 62 | 21 | 315000 | 50000 |
| | | **योग** | | **497** | **166** | **2490000** | **250000** |
| 41 | सिवनी | 256 | सिवनी | 129 | 43 | 645000 | 50000 |
| | सिवनी | 257 | लखनादौन | 108 | 36 | 540000 | 50000 |
| | सिवनी | 258 | बरघाट | 90 | 30 | 450000 | 50000 |
| | सिवनी | 259 | कैवलारी | 78 | 26 | 390000 | 50000 |
| | सिवनी | 260 | कान्हापास (घंसौर) | 77 | 26 | 390000 | 50000 |
| | सिवनी | 261 | कुरई | 62 | 21 | 315000 | 50000 |
| | सिवनी | 262 | छपरा | 54 | 18 | 270000 | 50000 |

| स. क्र. | जिले का नाम | स.क्र. | जनपद पंचायत का नाम | ग्राम पंचायत की संख्या | अधिकतम समूह की संख्या | ग्राम पंचायत स्तरीय आयोजन हेतु राशि | विकासखंड स्तरीय आयोजन हेतु राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सिवनी | 263 | धनौरा | 47 | 16 | 240000 | 50000 |
| | | **योग** | | **645** | **216** | **3240000** | **400000** |
| 42 | शहडोल | 264 | बुढ़ार | 102 | 34 | 510000 | 50000 |
| | शहडोल | 265 | जयसिंहनगर | 87 | 29 | 435000 | 50000 |
| | शहडोल | 266 | सोहागपुर | 77 | 26 | 390000 | 50000 |
| | शहडोल | 267 | ब्यौहारी | 67 | 22 | 330000 | 50000 |
| | शहडोल | 268 | गोहपारू | 58 | 19 | 285000 | 50000 |
| | | **योग** | | **391** | **130** | **1950000** | **250000** |
| 43 | शाजापुर | 269 | शाजापुर | 93 | 31 | 465000 | 50000 |
| | शाजापुर | 270 | मोमन बड़ोदिया | 86 | 29 | 435000 | 50000 |
| | शाजापुर | 271 | कालापीपल | 76 | 25 | 375000 | 50000 |
| | शाजापुर | 272 | शुजालपुर | 71 | 24 | 360000 | 50000 |
| | | **योग** | | **326** | **109** | **1635000** | **200000** |
| 44 | श्योपुर | 273 | श्योपुर | 95 | 32 | 480000 | 50000 |
| | श्योपुर | 274 | विजयपुर | 80 | 27 | 405000 | 50000 |
| | श्योपुर | 275 | कराहल | 50 | 17 | 255000 | 50000 |
| | | **योग** | | **225** | **76** | **1140000** | **150000** |
| 45 | शिवपुरी | 276 | खनियाढाना | 101 | 34 | 510000 | 50000 |
| | शिवपुरी | 277 | पोहरी | 86 | 29 | 435000 | 50000 |
| | शिवपुरी | 278 | पिछोर | 75 | 25 | 375000 | 50000 |
| | शिवपुरी | 279 | शिवपुरी | 74 | 25 | 375000 | 50000 |
| | शिवपुरी | 280 | कोलारस | 68 | 23 | 345000 | 50000 |
| | शिवपुरी | 281 | बदरवास | 66 | 22 | 330000 | 50000 |
| | शिवपुरी | 282 | करैरा | 66 | 22 | 330000 | 50000 |
| | शिवपुरी | 283 | नरवर | 64 | 21 | 315000 | 50000 |
| | | **योग** | | **600** | **201** | **3015000** | **400000** |
| 46 | सीधी | 284 | सीधी | 115 | 38 | 570000 | 50000 |
| | सीधी | 285 | सिंहावल | 100 | 33 | 495000 | 50000 |
| | सीधी | 286 | रामपुरनैकिन | 90 | 30 | 450000 | 50000 |
| | सीधी | 287 | मझोली | 53 | 18 | 270000 | 50000 |
| | सीधी | 288 | कुसमी | 42 | 14 | 210000 | 50000 |
| | | **योग** | | **400** | **133** | **1995000** | **250000** |
| 47 | सिंगरौली | 289 | चितरंगी | 115 | 38 | 570000 | 50000 |
| | सिंगरौली | 290 | बैढ़न | 104 | 35 | 525000 | 50000 |

| स. क्र. | जिले का नाम | स.क्र. | जनपद पंचायत का नाम | ग्राम पंचायत की संख्या | अधिकतम समूह की संख्या | ग्राम पंचायत स्तरीय आयोजन हेतु राशि | विकासखंड स्तरीय आयोजन हेतु राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सिंगरोली | 291 | देवसर | 97 | 32 | 480000 | 50000 |
| | | **योग** | | **316** | **105** | **1575000** | **150000** |
| 48 | टीकमगढ़ | 292 | जतारा | 93 | 31 | 465000 | 50000 |
| | टीकमगढ़ | 293 | बलदेवगढ़ | 80 | 27 | 405000 | 50000 |
| | टीकमगढ़ | 294 | टीकमगढ़ | 79 | 26 | 390000 | 50000 |
| | टीकमगढ़ | 295 | निवाड़ी | 71 | 24 | 360000 | 50000 |
| | टीकमगढ़ | 296 | पलेरा | 71 | 24 | 360000 | 50000 |
| | टीकमगढ़ | 297 | पृथ्वीपुर | 65 | 22 | 330000 | 50000 |
| | | **योग** | | **459** | **154** | **2310000** | **300000** |
| 49 | उज्जैन | 298 | खाचरौद | 130 | 43 | 645000 | 50000 |
| | उज्जैन | 299 | महीदपुर | 120 | 40 | 600000 | 50000 |
| | उज्जैन | 300 | बदनावर | 107 | 36 | 540000 | 50000 |
| | उज्जैन | 301 | तराना | 107 | 36 | 540000 | 50000 |
| | उज्जैन | 302 | उज्जैन | 76 | 25 | 375000 | 50000 |
| | उज्जैन | 303 | घट्टिया | 69 | 23 | 345000 | 50000 |
| | | **योग** | | **609** | **203** | **3045000** | **300000** |
| 50 | उमरिया | 304 | करकेली | 107 | 36 | 540000 | 50000 |
| | उमरिया | 305 | मानपुर | 83 | 28 | 420000 | 50000 |
| | उमरिया | 306 | पाली | 44 | 15 | 225000 | 50000 |
| | | **योग** | | **234** | **79** | **1185000** | **150000** |
| 51 | विदिशा | 307 | बासौदा | 101 | 34 | 510000 | 50000 |
| | विदिशा | 308 | सिरोंज | 93 | 31 | 465000 | 50000 |
| | विदिशा | 309 | विदिशा | 92 | 31 | 465000 | 50000 |
| | विदिशा | 310 | नटेरन | 84 | 28 | 420000 | 50000 |
| | विदिशा | 311 | कुरवाई | 75 | 25 | 375000 | 50000 |
| | विदिशा | 312 | ग्यारसपुर | 71 | 24 | 360000 | 50000 |
| | विदिशा | 313 | लटेरी | 61 | 20 | 300000 | 50000 |
| | | **योग** | | **577** | **193** | **2895000** | **350000** |
| | | **महायोग** | | **22816** | **7614** | **114210000** | **15650000** |

**संचालक**
**पंचायत राज संचालनालय**
**मध्यप्रदेश**